रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1981/चैत्र 13, 1903
No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1981/CHAITRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश संख्या-1/81

खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 1/81

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

का० आ० 269(अ):—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़ कर, किसी भी देश से भारत में कच्चे माल और संघटकों को वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात करने की सामान्य अनुमति देती है:—

(1) आयात की जाने वाली मदें आयात-नीति 1981-82 के परिशिष्ट 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 15 के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

(2) आयात की जाने वाली मदें वे मदें न हों जिनका आयात पृथक खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के पात्र निर्यात मदनों और लघु उद्योग निगमों के लिए अनुमेय है।

(3) इस लाइसेंस के अधीन उपकरण आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) कच्चे माल एवं संघटक वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन हों अर्थात सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के खुद के उपयोग के लिए अपेक्षित हों।

(5) वास्तविक उपयोक्ता इस लाइसेंस के अधीन आयात की गई मदों के उपभोग एवं उपयोग का निर्धारित प्रपत्र एवं विधि अनुसार उचित लेखा रखेगा और ऐसे लेखे को लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा विनिर्दिष्टिकृत समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(6) माल की निकासी के समय, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) वास्तविक उपयोक्ता के रूप में सम्बद्ध प्राधिकरण के पास अपने लाइसेंस पंजीकरण के विवरण देते हुए और इस बात की पुष्टि करते हुए कि इस प्रकार का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है या वापिस नहीं लिया गया है या अन्यथा रूप से उपयोग नहीं किया गया है, एक घोषणा पत्र सीमा शुल्क प्राधिकरण को भेजेगा। उन मामलों में जहां सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकरण

द्वारा अलग से लाइसेंस पंजीकरण संख्या नहीं दी गई है, आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकरण के सन्तुष्टी के लिए इस सम्बन्ध में अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि वह लाइसेंसधारी है, औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत है।

(7) जिन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के पास प्रायोजक प्राधिकरणों के अस्थायी पंजीकरण है, वे भी इस लाइसेंस के अधीन कच्चे माल और संघटक आयात करने के लिए पात्र होंगे।

(8) जिन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के पास प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा पंजीकरण प्रमाणपत्र है जिसे विशेषरूप से "प्रस्तावित" चिन्हित किया गया है वे भी कच्चा माल, संघटक और उपभोज्य आयात करने के लिए इस लाइसेंस के अधीन पात्र हैं, परन्तु उनके मामले में वास्तविक उपयोक्ता की ओर से राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य वित्तीय निगम को आयात की अनुमति केवल तब होगी जबकि निकासी के समय यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए कि सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ता ने आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए एक बान्ड बैंक गारन्टी के साथ इस सम्बन्ध में भेजा है कि वास्तविक उपयोक्ता उत्पादन करने वाले यूनिट के समर्थन में प्रायोजक प्राधिकारी से एक प्रमाणपत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(9) बड़े पैमाने क्षेत्र के सभी औद्योगिक एकक इस लाइसेंस के अधीन आयात की गई मदों के ब्योरे और मूल्य को दर्शाते हुए मद के लिए यथा उपयुक्त एक आवधिक विवरण महानिदेशक, तकनीकी विकास नई दिल्ली या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों और इलैक्ट्रानिक विभाग को भेजेंगे। लघु पैमाना-क्षेत्र के औद्योगिक एककों को उसी प्रकार के विवरण सम्बद्ध क्षेत्रीय आयात लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजने चाहिए। ये विवरण 30 सितम्बर, 1981 और 31 मार्च, 1982 को भेजे जायेंगे। ऐसा प्रत्येक विवरण दर्शाई गई अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

(10) ये लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त-1 के अधीन भी होगा।

(11) मानव निर्मित रेशों, मोटे सन और सनों के सम्बन्ध में पात्र आयातकों को अपनी संविदाएं वस्त्र आयुक्त बम्बई के पास पंजीकृत करवानी चाहिए। आयात तभी किए जाएंगे जब संबंधित संविदाओं पर वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में मोहर लगा दी गई हो। इस उद्देश्य के लिए संविदा की दो प्रतियां वस्त्र आयुक्त के पास रखी जाएंगी और वह पार्टी को एक प्रति वापिस कर देगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत मोहर लगी होगी।

(12) जैसा कि ऊपर 11 में दिया गया है, वस्त्र आयुक्त, बम्बई के पास संविदा के पूर्व पंजीकरण से संबंधित शर्तों के अधीन पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं के वितरण के लिए मानव-निर्मित रेशे, मोटा सन और सनों भी इस लाइसेंस के अधीन भारतीय राज्य रासायन एवं भेषज निगम (सी० पी० सी०) द्वारा आयात किए जा सकते है।

(13) केपरोलेक्टम के आयात के मामले में आयात की स्वीकृति केवल पेट्रोलियम रासायन एवं उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) के पास पंजीकृत संविदाओं के आधार पर दी जाएगी। आयात पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली द्वारा सम्बद्ध संविदाओं पर पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में मोहर लगाने के बाद ही किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए संविदाओं की दो प्रतियां पेट्रोलियम विभाग के पास जमा करनी चाहिए और वह प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत मोहर लगाने के बाद संविदा की एक प्रति पार्टी को लौटा देगें।

(14) (1) ऊनी चिथड़ो/रद्दी ऊन के मामले में आयातित माल की की निकासी सीमा-शुल्क निकासी माल के पूर्ण विकृत होने के बाद ही दी जाएगी।

(2) इस प्रयोजन के लिए ऊनी चिथड़ों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :—

(क) "नए"-ऊनी कपड़े के अवशेष चाहे वह बुने हुए या कढ़ाई किए हुए कपड़े के हों और जो वस्त्रों की कटाई करने के बाद बच जाते हों इनमें दर्जी द्वारा काट दिए गए वास्तविक टुकड़े, त्याग दिए गए नमूने और सेम्पल बिट्स भी शामिल है।

(ख) 'पुराने"-ऊनी कपड़े के वह चिथड़े (कटाई किए हुए और काटे से बुने हुए कपड़ो सहित) जो रद्दी यार्न के विनिर्माण के लिए आवश्यक हों और उनमें सजावटी मदें या फटे हुए कपड़े, मैले कपड़े या ऐसे कपड़े जो इस प्रकार से फट गए हों जिनकी धुलाई या मरम्मत नही की जा सकती हो, शामिल है।

(3) यह परिभाषा संश्लिष्ट चिथड़ों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी।

(15) महामारी नाशक और कीटाणुनाशक सहित कीटनाशक के मामलो में सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) प्रत्येक माल के परेषण की निकासी के सात दिनों के भीतर आयातित

मद, उसकी मात्रा और उसका लागत-बीमा भाडा मूल्य के ब्यौरे कृषि विभाग (वनस्पति संरक्षण विभाग) नई दिल्ली को सूचित करेगा।

(16) इस लाइसेंस के अधीन आयात द्वारा सम्बद औद्योगिक एकक का उत्पादन स्वीकृत प्राधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगा और सम्बद्ध एकक अपनी अनुमोदित समयबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुपालन का सुनिश्चय करेगें।

(17) इस प्रकार आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित नहीं किया गया है।

(18) इस प्रकार के माल के पोतलदान किसी भी रियायती अवधि चाहे जो कुछ भी हो, के बिना 28-2-1982 को या इससे पूर्व खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्रों के मद्दे 31 मार्च, 1982 या 30 जून, 1982 को या इससे पूर्व भारत के लिए परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हों।

(19) किसी भी माल के आवेदनपत्र पर उनके आयात पर कोई भी निषेध या विनियम जो उस माल का आयात करते समय लागू थे, प्रभावित करते है जो उनका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(20) यह लाइसेंस किसी भी समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो उसे दायित्व या किसी आवश्यकता को अनुपालन करने से कोई प्रतिरक्षा छूट या ढील प्रदान नहीं करता है। आयातक को इसके लिए लागू सभी अन्य कानूनों का अनुपालन करना चाहिए।

[मिसिल संख्या आई० पी० सी०] 3/8/80]

## MINISTRY OF COMMERCE

## IMPORT TRADE CONTROL

## ORDER NO. 1/81

## OPEN GENERAL LICENCE NO. 1/81

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 269(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, raw materials, components, and consumables by Actual Users (Industrial), subject to the following conditions :—

(1) The items to be imported are not covered by Appendices 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 15 of the Import Policy, 1981-82 ;

(2) The items to be imported are not those of which the import is allowed to eligible Export Houses and Small Industries Corporations of State Governments/Union Territories, under a separate Open General Licence ;

(3) Instruments shall not be allowed to be imported under this Licence ;

(4) The raw materials, components and consumables are required by the Actual User (Industrial) concerned for his own use, i.e. subject to the Actual User condition ;

(5) The Actual User shall maintain proper account of consumption and utilisation of the goods imported under this Licence in the form and manner laid down, and produce such account to the licensing authority, or any other Government authority within such time as may be specified by it ;

(6) Actual Users (Industrial), at the time of clearance of the goods, shall furnish to the customs authorities a declaration giving particulars of their licence/registration as Actual Users with the concerned authority and affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/registered as industrial unit ;

(7) Actual Users (Industrial) having provisional registration with the sponsoring authority will also be eligible to import raw materials, components and consumables under this Licence ;

(8) Actual Users (Industrial) having registration certificate issued by the sponsoring authority specifically marked "proposed" will also be eligible to import raw materials, components and consumables under this Licence, but in their case, the import will be allowed only to the State Industrial Development Corporation of State Financial Corporation on behalf of the Actual User, or on production of evidence, at the time of clearance, that the Actual User concerned has furnished a bond with a bank guarantee for a value equal to 25 per cent of the CIF value of the goods imported, to the effect that the Actual User shall furnish to the licensing authority cerned a certificate of the sponsoring authority in support of the unit having gone into production ;

(9) All Industrial units in large scale sector shall submit to the DGTD, New Delhi or other sponsoring authorities concerned, and the Department of Electronics, New Delhi, as appropriate to the item, periodical returns, indicating the description and the value of the items imported under this Licence. Industrial units in the small scale sector should send similar returns to the regional licensing authorities concerned. These returns shall be furnished as on 30th September, 1981 and 31st March, 1982. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period indicated ;

(10) This Licence shall also be subject to the condition No 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955 ;

(11) In respect of man made fibres, tow and yarns, every eligible importer shall be required to register his contracts with the Textile Commissioner, Bombay. Imports shall be made only after the concerned contracts have been stamped by the Textile Commissioner, Bombay as evidence of such registration. (For this purpose, two copise of the contract should be lodged with the Textile Commissioner and he will return one copy to the party duly stamped on each page);

(12) Import of man-made fibres, tow and yarns under this Licence can be made by the State Chemicals and Pharmaceutical Corporation of India (CPC), New Delhi for distribution to eligible Actual Users subject to the condition regarding prior registration of contracts with the Textile Commissioner, Bombay as in (11) above

(13) In the case of Caprolactum, import will be allowed only on the basis of the import contracts registered

with the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum). Imports shall be made only after the connected contracts have been stamped by the Department of Petroleum, New Delhi as evidence of such registration. (For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the Department of Petroleum and they will return one copy to the party duly stamped on each page) ;

(14) (i) In the Case of woollen rags/shoddy wool /synthetic rags, clearance of imported goods will be allowed by the Customs authorities only after the goods have been completely mutilated.

(ii) Woollen rags for this purpose are defined as under:—

(a) 'New'—Waste woollen cloth whether woven or knitted which is left after a garment had been cut out including genuine tailor cutting piece ends, discarded pattern bunches and sample bits.

(b) 'Old'—Rags of woollen textile fabrics (including knitted and crocheted fabrics), which are required for manufacture of shoddy yarn and may consist of articles of furnishing or clothing or other clothing so worn out, soiled or torn as to be beyond cleaning or repair.

(iii) This definition shall apply mutis-mutandis to synthetic rags.

(15) In the case of insecticides including pesticides and weedicides, the Actual User (Industrial) concerned shall, within seven days of the clearance of each consignment, intimate to the Department of Agriculture (Plant Protection Division), New Delhi, particulars of the items imported, the quantity and the c.i.f. value thereof ;

(16) By import under this Licence, the production of the industrial unit concerned shall not exceed the licensed/authorised capacity, and the unit concerned shall ensure adherence to its approved phased manufacturing programme ;

(17) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa ;

(18) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982 or on before 30th June, 1982 against firm orders for which irrevocable letters of credit are opened on or before 28th February, 1982, without any grace period whatso-ever ;

(19) Nothing in this Licence shall effect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are permitted ;

(20) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provision of all other laws applicable to them.

[F. No. IPC/3/8/80]

**आदेश सं० : 2/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस सं० : 2/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

का० आ० 270 (अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1981-82 की आयातनीति के परिशिष्ट 2 में विशिष्टिकृत विवरण के पूंजीगत माल का दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात करने की सामान्य अनुमति देती है.—

(i) आयातक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के साथ अपने निजी कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, व्यवसायिक कार्यालय या अन्य संबद्ध परिसर में उपयोग के लिए ऐसी मदों की आवश्यकता रखते हुए महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली या राज्य के संबद्ध उद्योग निदेशक या अन्य संबद्ध प्रायोजक या सरकारी प्राधिकारी के साथ पंजीकृत एक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक या गैर औद्योगिक) हो।

(ii) विषयाधीन पूंजीगत माल के आयात द्वारा आवेदक का उत्पादन लाइसेंस प्राधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगा ।

(iii) इस प्रकार आयात किया गया माल नए निर्माण का होगा । यदि वे पुरानी या मरम्मत की गई मदें होंगी तो उनके आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जबकि मशीनरी केवल 10 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और इसका शेष जीवन 5 वर्ष से कम न हो और जिस देश से आयात किया जाए उस देश के गनदी इंजीनियर का एक प्रमाणपत्र साक्ष्य के रूप में निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को उसके संतुष्टीकरण के लिए इस संबंध में प्रस्तुत किया जाए ;

(iv) आयातित माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) उसके द्वारा धारित उस पंजीकरण प्रमाणपत्र को मूल रूप में या फोटोस्टैट प्रति (वर्तमान में वैध) के रूप में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जो उसको आयात करने के लिए पात्रता प्रदान करते हुए शापस एंड इस्टेबलिशमेंट एक्ट, सिनेमैटोग्राफिक एक्ट या संबंध स्थानीय कानून के अंतर्गत जारी किया गया हो।

(v) माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक), वास्तविक उपयोक्ता के रूप में संबद्ध प्राधिकरण के पास अपने लाइसेंस पंजीकरण के विवरण देते हुए और इस बात की पुष्टि करते हुए कि इस प्रकार का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है या वापस नहीं लिया गया है या अन्यथा रूप से उपयोग नहीं किया गया है, एक घोषणापत्र सीमाशुल्क प्राधिकरण को भेजेगें । उन मामलों में जहां संबद्ध प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अलग से लाइसेंस पंजीकरण

सं० नहीं दी गई है, आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए इस संबंध में अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि वह लाइसेंस-धारी है/औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत है।

(vi) आयात किए गये पूंजीगत माल का विवरण देते हुए 30 सितम्बर, 1981 और 31 मार्च, 1982 को उनके लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का विवरण देते हुए आयातक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक को आवधिक विवरण पत्र भेजेगा। ऐसा प्रत्येक विवरण पत्र निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

(vii) इस तरह आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(viii) ये माल 31 मार्च, 1982 को अथवा उससे पहले बिना कोई अवधि बढ़ाये जो भी हो भारत को परेषण के जरिये भेजे गए हों या 28-2-1982 को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा विनिमय के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गयी पक्की संविदा के मद्दे 31-3-1983 को या इससे पूर्व लदान कर दिए गए हों।

(ix) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के अधीन होगा।

(x) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी विशेष अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

[सि० सं० आई० पी० सी०/3/8/80]

ORDER NO. 2/81

**Open General Licence No. 15/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 270(E).**—In exercise of the powers conferred by tion 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, goods of the desthe description specified in Appendix 2 of Import Policy, 1981-82, subject to the following conditions :

(i) The importer is an Actual User (Industrial) or Non-Industrial) registered with the DGTD, New Delhi or the concerned State Director of Industries or other sponsoring or the Government authority concerned, as the case may be, requiring such items for use in his factory, commercial establishment, institution, professional office or other premises concerned, subject to "Actual User" condition ;

(ii) By import of the Capital Goods, in question, the production of the applicant shall not exceed the licensed/authorised capacity ;

(iii) The goods so imported shall be of new manufacture. If they are second-hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than ten years old and its remaining life is not less than five years, and evidence to this effect in the form of a certificate of a Chartered Engineer in the country from which the import is made, is produced to the satisfaction of the customs authority at the time of clearance ;

(iv) Actual Users (Non-Industrial) shall, at the time of clearance of the imported goods, furnish to the customs authorities the original or a photostat copy of the (currently valid) Registration Certificate held by them under the Shops and Establishments, Act, Cinematographic Act, or concerne local statute, entitling them to effect the imports ;

(v) Actual User (Industrial) shall produce to the Customs authorities concerned at the time of clearance, a declaration giving particulars of his licence/registration, as an industrial unit with the concerned authorities, and affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made inoperative. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/registered as industrial unit ;

(vi) The importer shall furnish periodical returns to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, giving the description of Capital Goods imported and their c.i.f. value as on 30th September, 1981 and 31st March, 1982. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period indicated ;

(vii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa ;

(viii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, or shipped on or before the 31st March, 1983 against a firm contract entered into and and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1982, without any grace period whatsoever ;

(ix) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Ordere, 1955 ;

(x) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, if any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC/38/80]

**आदेश सं० 3/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस सं० 3/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

का० आ० 271 (अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से 1981-82 की आयात नीति की निषेध मदों की सूची (परिशिष्ट 3, 6 तथा 30) में भिन्न अर्थात वे सभी पुर्जे जो फालतू पुर्जों के रूप में अपेक्षित हैं, अनुमेय फालतू पुर्जों का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है तथा जो पूंजीगत माल के अनुरक्षण

के लिए अपेक्षित है जिनमें अनुषंगी, सहायक उपस्कर, नियंत्रण तथा लेबोरिटरी उपस्कर तथा सुरक्षा संयंत्र भी शामिल हैं जिन्हें वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) और (गैर औद्योगिक) द्वारा 1 अप्रैल, 1981 को स्थापित किया गया था का आयात उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था :—

(1) वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अपने औद्योगिक लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों का विवरण देते हुए एक ऐसी घोषणापत्र देंगे जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि इन पंजीकरणों को निरसित नहीं किया गया अथवा वापिस नहीं लिया गया है अथवा उनका अन्यथा रूप में उपयोग नहीं किया गया है। जिन मामलों में सम्बन्धित प्रायोजक पृथक पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा नियत नहीं किया गया है, आयातक सीमा शुल्क प्राधिकारियों की इस संतुष्टि के लिए अन्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि वह अनुमेय है। औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत है।

(2) माल की निकासी के समय प्रयोक्ता (गैर औद्योगिक) दुकान और स्थापना अधिनियम (सिनेमेटोग्राफिक अधिनियम अथवा उपयुक्त स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मूल अथवा फोटोस्टेट (वर्तमान समय में वैध) प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे जो आयात को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें हकदार बनाएगी।

(3) संगणक प्रणाली के मामले में अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति आयातित संगणक के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के 3 प्रतिशत पर या देशी विनिर्मित संगणक प्रणाली खरीद मूल्य के 1/2 प्रतिशत पर दी जाएगी व आयातित माल की निकासी के समय, जैसा भी मामला हो आयात की सीमा शुल्क प्राधिकारी को सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल या सम्बन्धित प्रयोजित प्राधिकारी को लागत-बीमा भाड़ा-मूल्य या संगणक प्रणाली की खरीद मूल्य को प्रदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए उन्हें इस सम्बन्ध में एक घोषणापत्र भी देना चाहिए जिस परेषण की निकासी की जानी है उसके लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित उसी अवधि में इस प्रकार से पहले ही आयात किए गए माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य अनुमेय सीमा से ज्यादा नहीं हो। सनदी/लागत लेखापाल को आवेदक फर्म या उसकी सहायक शाखाओं का भागीदार या संचालक या कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

(4) वे लघु क्षेत्र के एकक जिनके अन्तिम पंजीकरण सम्बद्ध प्रायोजित प्राधिकारियों के पास हैं, वास्तविक प्रयोक्ताओं की ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन इस लाइसेंस के अन्तर्गत माल आयात करने के पात्र है।

(5) वास्तविक उपयोक्ता इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित माल के उपयोग का निर्धारित रूप और विधि से उचित लेखा रखेगा और ऐसे लेखों का लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा विनिर्दिष्टकृत समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(6) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की अनुसूची-5 में मर्द-1 के अधीन होगी।

(7) वास्तविक उपयोक्ता 30-9-1981 और 31-3-1982 को नीचे लिखे गए प्राधिकारियों को एक आवधिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें (क) आयातित मदों के कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य और (ख) ऐसी आयातित मदों के ब्यौरे जिन का कुल लागत बीमा-भाड़ा मूल्य 2 लाख रुपए से अधिक हो को दर्शाया जाएगा।

(1) बृहत पैमाने के क्षेत्र में औद्योगिक एककों के मामले में सम्बद्ध प्रयोजक प्राधिकारी

(2) अन्य वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी। प्रत्येक ऐसा विवरण उपर्युक्त संकेतित अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

(8) इस तरह आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(9) ये माल 31 मार्च, 1982 को अथवा उससे पहले बिना कोई अवधि बढ़ाये जो भी हो भारत को परेषण के जरिए भेजे जाते हैं या 28-2-1982 को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा विनियम के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गई पक्की संविदा के मद्दे 31-3-1983 को या इससे पूर्व लदान कर दिए जाते है।

(10) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

[सं० संख्या आई० पी० सी०/3/8/80

ORDER NO. 3/81

**OPEN GENERAL LICENCE NO. 3/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 271(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives the general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, "permissible" spares i.e. all these parts required as spares, other than the items appearing in the banned lists (Appendices 3, 6 and 30) in the Import Policy, 1981-82, as are required for their own use for maintenance of Capital Goods, including accessories, ancillary equipment, control and laboratory equipments and safety appliances, installed or in use as on 1st April, 1981, by Actual Users (Industrial) as well as (Non-Industrial), subject to the following conditions :—

(i) Actual Users (Industrial) will furnish to the customs authorities, at the time of clearance, a declaration giving particulars of their industrial licence/registration certificates, as appropriate, and solemnly affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made inoperative. In cases where a separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/registered as an industrial unit ;

(ii) Actual Users (Non-Industrial) shall, at the time of clearance of the goods, furnish to the customs authorities, the original or a photostat copy of the (currently valid) registration certificates held by them under the Shops and Establishment Act, Cinematographic Act or appropriate local statute, entitling them to effect the imports ;

(iii) In the case of computer systems, import of permissible spare parts will be allowed at 3 per cent of the c.i.f. value of imported computers of 1/2 per cent of the purchase price of the indigenously manufactured computer systems. At the time of clearance of the imported goods, the importers should furnish to the customs authorities, a certificate from Chartered/Cost Accountants or the sponsoring authority concerned showing the c.i.f. value or the purchase price of the computer system, as the case may be. They should also furnish a declaration to the effect that the c.i.f. value of such goods already imported during the same financial year does not exceed the permissible limit, including the c.i.f. value of the consignment to be cleared. The Chartered/Cost Accountant should not be a partner or a Director or an employee of the applicant firm or its associates ;

(iv) Small scale units having provisional registration with the sponsoring authorities concerned will be eligible to import goods under this Licence, subject to Actual User condition ;

(v) The Actual User shall maintain proper account of utilisation of the goods imported under this Licence in the form and manner laid down, and produce such account to the licensing authority or any other Government authority within such time as may be specified by it ;

(vi) This Licence shall also be subject to the Condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955 ;

(vii) The Actual Users shall furnish periodical returns, as on 30th September, 1981 and 31st March, 1982, to the authorities mentioned below, indicating (a) the total c.i.f. value of the items imported and (b) description of such of the items imported of which the total c.i.f. value exceeds Rs. 2 lakhs :—

(i) sponsoring authorities concerned in the case of industrial units in the large scale sector ; and

(ii) regional Import licensing authorities concerned, in the case of other Actual Users.

Each such Return shall be sent within 15 days of the class of the period indicated.

(viii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa ;

(ix) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, or shipped on or before 31st March, 1983 against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1982, without any grace period whatsoever ;

(x) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC/3/8/80]

**आदेश संख्या 4/81**

**खुला सामान्य लाईसेंस सं० 4/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 272 (अ)** :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और रोडेशिया को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से नीचे विशिष्टिकृत माल का आयात करने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

(1) 2000 रुपए मूल्य तक का व्यापार सम्बन्धी सूची पत्रों और परिपत्रों के मुक्त उपहार,

(2) मशीनरी और संयंत्र स्थानों, कार्य और निर्माण अनुसंधान आंकड़ों से सम्बन्धित वे खाके और ड्राइंग (माइक्रो फिल्म सहित) जो मुफ्त में संभरित किए जाते हैं और जिनका कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है।

(3) एक प्रेषण में अधिकतम 10,000 रुपए के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य तक के मुफ्त में संभरित किए जाने वाले मूल तकनीकी और व्यापार संबंधी नमूने जिनमें वनस्पति बीज, मधु-मक्खियां, नाय और नए भेषज शामिल नहीं है।

(4) एक ही प्रेषण में 2,000 रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक के मुफ्त में संभरित की जाने वाली मूल विज्ञापन सम्बन्धी सामग्री।

(5) विदेशी संभरकों द्वारा मुफ्त में संभरित माल या जो माल पहले आयात किया गया हो परन्तु जो उपयोग के लिए त्रुटिपूर्ण या अनुपयुक्त पाया गया हो या आयात के बाद खो गया हो/टूट-फूट गया हो उसके बदले में किसी बीमा कम्पनी द्वारा तय किए गए बीमा (समुद्रीय) या समुद्रीयत्व

निर्माता वाले के मद्दे आयातित माल, बशर्ते कि :—

(क) प्रतिस्थापन वाले माल का पोतलदान पहले आयात किए गए माल की सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी की तिथि से 24 महीनों के भीतर किया गया हो या मशीनों और उनके पुर्जों के मामले में यदि ऐसी अवधि 24 महीनों से अधिक हो तो पोतलदान गारंटी अवधि के भीतर किया गया हो;

(ख) जिस मामले में विदेशी संभरक द्वारा माल का प्रतिस्थापन इस शर्त के अधीन हो कि आयातक प्रतिस्थापन के लिए बीमे और या भाड़े का भुगतान करेगा और धन परेषित करते समय इस सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे मामले के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के धन परेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी ;

(ग) प्रतिस्थापन माल की निकासी के समय निम्नलिखित दस्तावेज सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे :—

(1) मुफ्त प्रतिस्थापन के मामले में विदेशी संभरक से साक्ष्य के रूप में यह प्रदर्शित करते हुए मूल पत्र कि माल मुफ्त संभरित किया जा रहा है,

(2) लायड्स एजेन्ट से या किसी अन्य प्राधिकृत बीमा सर्वेक्षक से सर्वेक्षण प्रमाणपत्र या मशीन या उसके पुर्जों के मामले में व्यवसायी स्वावलम्बी सनदी इंजीनियर (या सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मामले में मुख्य कार्य प्रभारी) से इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र कि पहले आयात किया गया माल वास्तव में त्रुटिपूर्ण दशा में प्राप्त किया गया था और उसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी,

(3) जिस मामले के उपर्युक्त उप-खंड (क) में निर्धारित 24 महीनों की अवधि के बाद पोतलदान किया गया हो उस मामले में मशीनों या उनके पुर्जों के लिए विदेशी संभरक या माल परेषक द्वारा गारंटी की अवधि प्रदर्शित करते हुए साक्ष्य,

(4) नए सिरे से धन परेषण वाले प्रतिस्थापन आयात के मामले में बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए भुगतान का साक्ष्य। प्रतिस्थापन आयात की अनुमति बीमा कंपनी द्वारा निर्णीत मांग के मूल्य तक दी जाएगी, परन्तु इस धन राशि में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति प्रतिस्थापन के रूप में आयात की जाने वाली मशीनरी के मूल्य में वृद्धि के कारण दी जा जा सकती है।

(6) भारत के औषधि नियंत्रक नई दिल्ली के पूर्व और लिखित अनुमोदन के साथ और उसके द्वारा निर्धारित किसी शर्त के अधीन रोग विषयक परीक्षणों के लिए मुफ्त में संभरित भेषज और औषधियां/औषधि नियंत्रक का अनुमोदन माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) विदेशी संभरकों द्वारा भारत में थोक एजेन्टों को मुफ्त में संभरित भेषजों और औषधियों के मूल व्यापार नमूने जो एक परेषण में लागत-बीमा-भाडा मूल्य में 10 हजार रुपए से अधिक के न हों और भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली की लिखित सिफारिश के साथ जो कि माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(8) भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली की लिखित सिफारिश जो माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाएगी के आधार पर मुफ्त में या भुगतान पर संभरित मानव टीके और सेरा।

(9) राज्य पशुपालन निदेशक अथवा पशु पालन आयुक्त भारत सरकार, नई दिल्ली की लिखित सिफारिश पर निःशुल्क, अथवा भुगतान के मुद्दे भेजे गए पशु टीके जिसमें मुर्गी पालन टीके भी शामिल हैं, जिनके लिए लिखित अनुमति निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाती है।

(10) कृषि विभाग, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के लिखित अनुमोदित पर मुफ्त संभरित किए गए कीटनाशकों (महामारी नाशक और घास-पात नाशक सहित) के तकनीकी और व्यापार नमूने जिनके लिए लिखित अनुमति निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाती है।

(11) उपर्युक्त क्रम सं० 6 से 10 में दर्शाई गई मदों के सम्बन्ध में, जहां पर मदें मुफ्त भेजी गई हो अनुमेय माल के आयात की अनुमति उपभोक्ता या खुदरा पेकिंग में नहीं होगी और प्रेषित माल

पर साफ-साफ अक्षरों में "नमूने बिक्री के लिए नहीं" अंकित होगा ।

(12) इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित व्यापार सूचीपत्र एवं परिपत्र खाके एवं ड्राइंग और तकनीकी अथवा व्यापार नमूने आयात के निजी उपयोग के लिए और उनको बेचा नहीं जाएगा ।

(13) किसी माल के लिए उसके आयात की प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(14) यह लाइसेंस खुले सामान्य लाइसेंस संख्या-4/80 का अतिक्रमण करता है जो कि आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 10/80 दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था ।

[मि० संख्या आई०पी०सी 3/80]

ORDER NO. 4/81

**Open General Licence No. 4/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 272(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government gives general permission for importation of the goods specified below from any country in the world, except the Union of South Africa/South West Africa :—

Free gift of trade catalogues and circulars upto a value of Rs. 2,000 ;

(2) Blue prints and drawings (including micro films) relating to machinery and plant sites, work and building, research data, supplied free of charge and having no commercial value ;

(3) Bonafide technical and trade samples supplied free of charge not exceeding Rs. 10,000/- in c. i. f. value, in one consignment, excepting vegetable seeds, bees, tea and new drugs ;

(4) Bona-fide advertising material supplied free of charge not exceeding Rs.2,000/-in c.i.f. value, in one consignment;

(5) Goods supplied free of charge by foreign suppliers or imported against an insurance (marine) or marinecum-erection insurance claim settled by an Insurance Company, in replacement of the goods previously imported but found defective or otherwise unfit for use or lost|damaged after import, provided that :

(a) the shipment of replacement goods is made within 24 months from the date of clearance of the previously imported goods through the customs or within the guarantee period in the case of machines or parts thereof, where such period is more than 24 months;

(b) No remittance shall be allowed, except for payment of insurance and freight charges the replacement of goods by the foreign suppliers in subject to the payment of insurance and/or freight by the importer and documentary evidence to this effect is produced at the time of making the remittance;

(c) the following documents shall be produced to the satisfaction of the customs authorities, at the time of clearance of the replacement goods :—

(i) original letter from the foreign supplier as evidence of goods being supplied free of cost, in the case of free replacement;

(ii) a survey certificate issued by the Lloyds Agents or any other authorised insurance surveyors or in the case of machine or parts thereof, a certificate from a professional, independent chartered engineer, (or Chief Executive in the case of Government Departments and Public sector undertakings) to the effect that goods previously imported were actually received in defective condition and required replacement;

(iii) evidence showing the period of guarantee given by the foreign manufacturers or consigners in the case of machines or parts thereof, where shipment takes place after the period of 24 months stipulated in sub-clause (a) above;

(iv) evidence of settlement of claim by the insurance company, in the case of replacement import involving fresh remittances. Replacement imports will be allowed upto the value of the claim settled by the insurance company, but an increase upto ten per cent of this amount may be allowed owing to the increase in the value of the machinery to be imported in replacement;

(6) Drugs and medicines supplied free of charge for clinical trials with the prior written approval of the Drugs Controller of India, New Delhi and subject to any conditions laid down by him. The approval of the Drugs Controller shall be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(7) Bona-fide trade samples of drugs and medicines supplied free of charge to the sole agents in India of the foreign suppliers, not exceeding Rs. 10,000 in c.i.f value in one consignment, on the written recommendation of the Drugs Controller of India, New Delhi to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(8) Human vaccines and sera supplied free of charge or against payment, on the written recommendation of the Drugs Controller of India, New Delhi to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(9) Animal including poultry vaccines, supplied free of charge or against payment, on the written recommendation of either the State Director of Animal Husbandry or the Animal Husbandry Commissioner to the Government of India, New Delhi, to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(10) Technical and trade samples of the insecticides (including pesticides and weedicies), supplied free of charge, on the written approval of the Central Insepcticides Board under the Department of Agriculture, New Delhi, to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(11) In respect of items covered by Sl. Nos. (6) to (10) above, where the items are supplied free of charge, import of the permissible material shall not be allowed in consumer or retail packing and the consignment shall be clearly marked "sample not for sale";

(12) Trade catalogues and circulars, blue prints and drawings, and technical or trade samples imported under this licence are for the use of the importers themselves and shall not be sold;

(13) This Licence is without prejudice to the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import that may be in force at the time when such goods are imported;

(14) This licence is in supersession of Open General Licence No. 4/80 published vide Import Trade Control Order No. 10/80, dated the 15th April, 1980

[F. No IPC|3|8|80]

**आदेश सं० 5/81**

**सामान्य खुला लाइसेंस सं० : 5/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का०आ० 273(अ)**—विकास आयात तथा निर्यात (नियंत्रण), अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी अनुसंधान एवं विकास इकाई वैज्ञानिक अथवा अनुसंधान प्रयोगशाला, उच्च शिक्षा संस्थान एवं चिकित्सालय जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है द्वारा अपेक्षित कच्चे माल , संघटकों , उपभोज्य, मशीनरी, उपकरण, उपस्कर, उप-साधक और फालतू पुर्जों की मदो का दक्षिणी अफ्रीका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से भारत में आयात करने के लिये सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

(1) आयातक निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियो को जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अपनी मान्यता का विवरण देते हुए और यह घोषणा करते हुए कि आयातित मदे उनके अपने उपयोग के लिये अपेक्षित है, एक घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा । अनुसंधान और विकास एककों के मामले में, वे यह भी घोषणा करेगी कि आयातित माल अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ चाहिये ।

(2) उपभोज्य माल की मदें जिनका विवरण किसी भी प्रकार से किया गया हो, इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिये अनुमेय नहीं होगी । इस लाइसेंस के अन्तर्गत मशीन का आयात भी अनुमेय नही होगा ।

(3) इस प्रकार आयातित माल का उत्पादन अथवा विनिर्माण दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में नहीं किया गया है ।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली और फालतू पुर्जों के संबंध में आयात की अनुमति इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली द्वारा निकासी प्रदान करने पर ही दी जायेगी ।

(5) आयातक पत्तन माल की निकासी के 30 दिनों के भीतर नीचे संकेतित प्राधिकारी को प्रत्येक एक लाख रुपये अथवा इससे अधिक मूल्य के लिये उनके द्वारा आयातित माल का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(1) अनुसंधान एवं विकास एककों और वैज्ञानिक तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के मामले में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, नई दिल्ली ।

(2) इलैक्ट्रोनिक मदों के संबंध में इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, नई दिल्ली ।

(3) तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली दिल्ली को उन मामलों पर जहां पर एकक उनके पास पंजीकृत किया गया हो ।

(4) चिकित्सालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के मामलों में, जैसा भी मामला हो, संबंधित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का प्रशासकीय मंत्रालय ।

(6) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 5 मे शर्त-1 के भी अधीन होगा ।

(7) ऐसे माल बिना किसी बढ़ाई गई अवधि के जो भी कुछ हो, 31 मार्च, 1982 तक अथवा उससे पूर्व भारत मे प्रेषित किये गये हो अथवा 28 फरवरी, 1982 को या उससे पहले विदेशी मुद्रा विनिमय के व्यापारी (बैंक) के साथ की गई पक्की संविदा और पंजीकरण के मद्दे मशीनरी उपकरण फालतू पुर्जों के मामले में जो 31 मार्च, 1983 को अथवा इससे पहले प्रेषित किये गये हो ।

(8) इस लाइसेंस के अन्तर्गत ऐसे माल के आयात के समय किसी भी वस्तु के लिये लागू उसके आयात पर प्रभाव डालने वाला किसी भी निषेध अथवा विनियम पर प्रभाव नही पड़ेगा ।

[मिसिल सं० आईपीसी/3/8/80]

ORDER No. 5|81

**Oper General Licence No. 5/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 273(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa items of raw materials, consumables, machinery, equipment, instruments, accessories and spares, required by any research and development unit, scientific or research laboratory, institution of higher education and hospitals, recognised by the Central or State Governments, subject to the following conditions :—

(i) The importer shall produce to the customs authorities, at the time of clearance, a declaration given particulars of his recognition by Central or State Government, as the case may be and declaring that the items imported are required for his own use In the case of R&D units, they shall also declare that the imported item is required for R&D purposes

(ii) Items of consumer goods, how-so-ever described, shall not be permitted for import under this Licence. Import of office machines will also not be allowed under this Licence.

(iii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa|South West Africa.

(iv) In respect of computer systems and spares the import will be allowed on production of clearance by the Department of Electronics, New Delhi.

(v) The importers shall furnish to the authorities mentioned below within 30 days of the clearance of goods from Customs, the particulars of the goods so imported by them, for a value each of Rs. 1 lakh or more :—

(i) Department of Science & Technology, New Delhi, in the case of R&D units and Scientific and Research Laboratories.

(ii) Department of Electronics, New Delhi, in respect of electronic items.

(iii) DGTD, New Delhi, in the case of units registered with them,

(iv) Administrative Ministry of the Central or State Government concerned, as the case may be, in the case of hospitals and institutions of higher education.

(vi) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

(vii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982 or, in the case of machinery/equipment/spares shipped on or before 31st March, 1983 against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1982, without any grace period whatsoever.

(viii) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation effecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC/3/8/80]

## आदेश सं० 6/81

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 6/81

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 274 (अ).**—आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से आयात नीति, 1981-82 के परिशिष्ट 8 और 9 में निहित संबद्ध मदों के सामने उल्लिखित मनोनीत सार्वजनिक क्षेत्र (सरणीबद्ध) अभिकरणों द्वारा उक्त परिशिष्ट में विशिष्टिकृत माल का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयात इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किये जायेंगे

(2) आयातित माल का वितरण संबद्ध सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा निर्धारित नीति और क्रियाविधि के अनुसार किया जायेगा

(3) इस तरह आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(4) भारत को ऐसे माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो 30 सितम्बर 1982 को या इससे पूर्व पत्रेषण के माध्यम से कर दिये जाने हैं। शर्तें कि 31 मार्च, 1982 को या इससे पहले पक्के आदेश कर दिये गये हैं ।

(5) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के भी अधीन होगा।

(6) इस प्रकार के माल का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध या उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

[मि० सं० आईपीसी 3/8/80]

ORDER NO. 6/81

**Open General Licence No. 6/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 274(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, the goods of the description specified in Appendix 8 and Appendix 9 of Import Policy, 1981-82, by designated Public Sector (Canalising) Agencies mentioned against the relevant items in the said Appendices, subject to the following conditions :—

(i) The imports shall be made against the foreign exchange released by Government for the purpose;

(ii) Imported goods shall be distributed by the Canalising agency concerned in accordance with the policy and procedure laid down;

(iii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(iv) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 30th September, 1982, without any grace period, whatsoever, provided firm order is placed on or before 31st March, 1982;

(v) This Licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1965;

(vi) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation, affecting the imports thereof, in force, at the time of such goods are imported.

[F. No. IPC/3/8/80]

## आदेश संख्या 7/81

**खुला सामान्य लाईसेंस संख्या 7/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का०आ० 275(अ)**—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जिगों, जुडनारों, मोल्डस (डाया कास्टिंग के लिये मोल्डस सहित) और प्रैस औजारों (1981-82 की आयात-नीति के परिशिष्ट 3 में प्रदर्शित से भिन्न) के भारत में आयात की सामान्य अनुमति दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन देती है :—

(1) आयातक अपने निजी संस्थान में उपयोग के लिये ऐसी मदों की आवश्यकता रखते हुए महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली या सम्बद्ध राज्य के उद्योग निदेशक या अन्य सम्बद्ध प्रायोजन प्राधिकारी, जो भी हो, के साथ पंजीकृत एक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) हो।

(2) इस प्रकार आयात किया गया माल नए निर्माण का होगा । यदि वे पुरानी या मरम्मत की गई मदें होंगी तो उनके आयात की अनुमति केवल तब ही दी जायेगी जब कि मशीनरी केवल 10 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और इसका शेष जीवन 5 वर्ष से कम न हो और जिस देश से आयात किया

जाये उस देश के सनदी इंजीनियर का एक प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारी को उसके संतुष्टीकरण के लिये इस संबन्ध में प्रस्तुत किया जाए

(3) औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण के ब्यौरे देते हुए संबद्ध वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) माल की निकासी के समय सम्बद्ध सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणापत्र यह शपथ लेते हुए प्रस्तुत करेगा कि ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण न तो रद्द किया गया है, न वापस लिया गया है और न अन्य प्रकार से अप्रभावी किया गया है । जिन मामलो में सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अलग पंजीकरण सं० आवंटित न की गई हो उनमें आयातक सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिये अाय उचित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(4) 31-9-1981 और 31-3-82 की स्थिति के अनुसार आयातित पूंजीगत माल और उसके लागत-बीमा भाड़ा मूल्य का विवरण देते हुए आयातक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक को आवधिक विवरण पत्र भेजेगा। ऐसा प्रत्येक विवरण पत्र निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

(5) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की अनुसूची 5 में शर्त सं० 1 के भी अधीन होगा।

(6) इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में उत्पादित या विनिर्मित न हो।

(7) ऐसे माल का पोतलदान 31 मार्च 1982 को या इससे पूर्व भारत को प्रेषण के माध्यम से या 28-2-1982 को या इससे पहले खोले गए अपरिवर्तनीय साख पत्रों के लिए पक्के आदेशों के मुद्दे 1 मार्च 1983 को या इससे पूर्व कर दिया गया हो और जो कुछ भी हो इसमें किसी किस्म की रियायती अवधि की स्वीकृति नही दी जाएगी ।

(8) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनिमय इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नही करेगा।

मिसिल संख्या आईपीसी/3/8/80

ORDER NO. 7/81

**Open General Licence No. 7/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 275(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, Jigs, fixtures, moulds (including moulds for diecasting) and press tools (other than those appearing in Appendix 3 of the Import Policy, 1981-82), subject to the following conditions :—

(1) The importer is an Actual User (Industrial) registered with the DGTD, New Delhi or the concerned State Director of Industries or other sponsoring authority concerned, as the case may be, requiring such items for use in his own undertaking;

(2) The goods so imported shall be of new manufacture. If they are second-hand or recondi ioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than ten years old and its remaining life in the form of a certificate of a Chartered Engineer in is not less than five years, and evidence to this effect the country from which the import is made, is produced to the satisfaction of the customs authority at the time of clearance.

(3) The Actual Users (Industrial) concerned shall produce to the satisfaction of the Customs authorities concerned at the time of clearance, a declaration giving particulars of his industrial licence/Registration Certificate and affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, he shall produce appropriate other evidence to the satisfaction of the customs authorities;

(4) The importer shall furnish periodical returns to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, giving the description of the goods imported and their c.i.f. value, as on 30th September, 1981 and 31st March, 1982. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period indicated;

(5) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(6) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(7) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982 on or before 31st March, 1983 against firm orders for which irrevocable letters of credits are opened on or before 28th February, 1982, without any grace period, whatsoever;

(8) Nothing in this Licence shall affect the application to any gods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC/3/8/80]

**आदेश सं. : 8/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस सं. : 8/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का. आ. 276 (अ)** .—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम

अफ्रीकी संघ को छोड़कर किसी भी देश से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ. एन. जी. सी.), आयल इंडिया लि., कोल इंडिया लि. और मै. नवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि. द्वारा कच्चे माल की सभी मदों, संघटकों, उपभोज्य, मशीनरी, उपकरण, उप-साधकों और फालतू पुर्जों (किन्तु उपभोज्य माल को छोड़कर चाहे उसका उल्लेख किसी भी प्रकार क्यों न किया गया हो) का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयात के लिए स्वीकृत मदें होगी जिनकी देशी दृष्टि से महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली द्वारा निकासी की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो । जहां किसी भी इलैक्ट्रानिक मद में 5 लाख रुपये के लागत-बीमा-भाड़े मूल्य के या इससे अधिक मूल्य के प्रतिकृति उपकरण और समुद्रीय इलैक्ट्रानिक्स उपकरण और मूल्य को ध्यान में रखे बिना इनके पुर्जे शामिल हो तो आयात की स्वीकृति इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निकासी की स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही दी जाएगी । इस संबंध में साक्ष्य सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजे जाएंगे ।

(2) आयात इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किए जाएंगे ।

(3) आयात "वास्तविक उपभोक्ता" शर्त के अधीन होगा ।

(4) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के अधीन होगा ।

(5) इस तरह आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो ।

(6) भारत को ऐसे माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो 31 मार्च, 1982 को या इससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हैं या मशीनरी और फालतू पुर्जों के मामले में इनका लदान 28-2-82 को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा विनिमय के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गई पक्की संविदा के मद्दे 31 मार्च, 1983 को या इससे पूर्व कर दिया जाता है ।

(7) इस प्रकार का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

[मि. सं. आई पी सी 3/8/80]

ORDER NO. 8/81

**Open General Licence No. 8/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 276(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, all items of raw materials, components, consumables, machinery, equipment, instruments, accessories and spares (but not consumer goods how-so-ever described), by the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Limited, Coal India Limited and M/s. Neyveli Lignite Corporation Ltd., subject to the following conditions :—

(1) The items permitted for import shall be those cleared by the DGTD, New Delhi from indigenous angle. Where import of any electronics items including facsimile equipment for a.c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more and marine electronics equipment and parts irrespective of value, is involved, the import shall be allowed only after clearance is given by the Department of Electronics. Evidence to this effect shall be produced to the customs authorities.

(2) The import shall be made only against foreign exchange released by the Government for the purpose.

(3) The import shall be subject to "Actual User" condition.

(4) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V of the Imports (Control) Order, 1955.

(5) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(6) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, or in the case of machinery and spares, these are shipped on or before 31st March, 1983 against firm contracts entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1982, without any grace period what-so-ever.

(7) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

[File No. IPC/3/8/80]

**आदेश सं० 9/81**

**खुला सामान्य लाईसेंस सं०: 9/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 277 (अ).**—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और अन्य उन एयर लाइन को जो आईएटीए के सदस्य हैं, फालतू पुर्जों, उपभोज्य सामग्री (1981-82 की आयात नीति के परिशिष्ट 9 के अन्तर्गत आने वाली ग्रीज और स्नेहक को छोड़कर) एयरक्राफ्ट के टायर ट्यूब पुस्तिकाओं, तकनीकी ड्राइंग और उनके द्वारा संचालित और रक्षित एयर क्राफ्ट के फ्लीट के संबद्ध निदर्शन और अन्य तकनीकी साहित्य और संबंधित परीक्षण और प्रशिक्षण उपकरणों को आयात करने की स्वीकृति प्रदान करती है :—

(1) कोई भी उपभोज्य सामान चाहे उसका किसी भी प्रकार उल्लेख क्यों न किया गया हो इस खुले सामान्य लाइसेंस की व्यवस्थाओं के अधीन उसे आयात करने की स्वीकृति नही दी जाएगी।

(2) आयातित मदें "वास्तविक उपभोक्ता शर्त" के अधीन होंगी।

(3) निकासी के समय आयातक एयरलाइन और आईएटीए के अन्तर्गत वर्तमान सदस्यता के ब्यौरों

को दर्शाते हुए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) आयातित माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से और या वहां उत्पादित या विनिर्मित नहीं होने चाहिएं।

(5) भारत को माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो 31 मार्च, 1982 को या इससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिये जाने है।

(6) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त-1 के अधीन होगा।

(7) इस प्रकार के माल का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयात को प्रभावित नहीं करेगा।

[मि० सं० आई०पी०सी०/3/80]

ORDER NO. 9/81

**Open General Licence No. 9/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 277(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to Air India, Indian Airlines and other Airlines who are members of the IATA, to import spares, consumables (excluding greases and lubricants covered by Appendix 9 to the Import Policy, 1981-82), aircraft tyres and tubes, manuals technical drawings, illustrations and other technical literature pertaining to the fleet of aircraft operated and maintained by them and the associate test and training equipments subject to the following conditions :—

(i) No consumer goods how-so-ever described shall be imported under the provisions of this Open General Licence;

(ii) The imported items shall be subject to the "Actual User" condition;

(iii) The importer shall furnish to the Customs authorities at the time of clearance, a declaration giving particulars of the airline and its current membership of the IATA;

(iv) The goods imported should not be from and or have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(v) Goods are shipped on through consignment to India on or before 31st Mrach, 1982 without any grace period, what-so-ever;

(vi) This licence shall also be subject to the condition No 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(vii) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC/3/8/80]

**आदेश संख्या 10/81**

**खुला सामान्य लाईसेंस सं० : 10/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

का० आ० 278 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसमें संलग्न अनुसूची में विशिष्टिकृत ब्यौरों की मदों का, प्रत्येक मद के सामने संकेतित पात्र वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर भी किसी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) अनुसूची में प्रत्येक मद के सामने संकेतित मूल्य सीमा के भीतर और विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयात किया जाएगा।

(2) संलग्न अनुसूची में क्रम सं० 2, 4, 5 और 6 पर उल्लिखित चिकित्सा औजार आदि, वैज्ञानिक औजार और मोटर व्हीकल तथा कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के मामले में पात्र आयातक इस प्रावधान के अधीन उसी वित्तीय वर्ष में पहले से ही आयातित ऐसे माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बारे में, सीमा शुल्क प्राधिकारी को निकासी के समय घोषणा-पत्र देगा,

(3) मोटर व्हीकल और कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के मामले में, आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को, मोटर व्हीकल अधिनियम, 1939 के अधीन करों के अद्यतन भुगतान/छूट के साक्ष्य सहित, सम्बद्ध व्हीकल या ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(4) ये माल 31 मार्च, 1982 को या उससे पूर्व बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो भी हो, भारत को परेषण के जरिये भेजे गए हों।

(5) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के अधीन होगी।

(6) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

*खुला सामान्य लाईसेंस संख्या—10—81, दिनांक 3 अप्रैल 1981*

| सं० | मद | पात्र आयातक, मूल्य सीमा और आयात करने का उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भेषज और औषध | (1) अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों द्वारा उनके |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 25 हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, |
| | | (2) किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके निजी उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा । |
| | | (3) पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उनके स्वयं के व्यवसाय में उपयोग के लिए एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत बीमा-भाडा मूल्य 5 हजार रुपए से अधिक नहीं होगा । |
| 2. (क) चिकित्सा जिसमे शल्य-चिकित्सा, आप्टिकल और दन्त चिकित्सा संबंधी औजार उपकरण और यंत्र और बदलाई के पुर्जे और उनके अनुषंगी एवं दन्त चिकित्सा सामान भी शामिल हैं । | (1) | अस्पताल या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि ऐसे आयातित माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा । |
| (ख) आयात–नीति 1981-82 के परिशिष्ट 10 की सूची 5 में दर्शाई गयी शल्य चिकित्सा के लिए सीवन और सुइयां । | (2) | पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाडा मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा । |
| 3. एक्स-रे इन्टैंसिफाइंग स्क्रीन | | अस्पताल और रेडियोलाजिकल क्लिनिको द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा । |
| 4. वैज्ञानिक औजार रसायन | | विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और औषध के क्षेत्र के डाक्टरो द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए (इस संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य दस हजार रुपए से अधिक नहीं होता । |
| 5. मोटर व्हीकल और कृषि टैक्टरों के फालतू पुर्जे | | यह व्यक्ति जिनके पास आयातित वाहन कृषि ट्रैक्टर है, उसके द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पांच हजार रुपए तक । |
| 6 अव्यवसायी रेडियो संचार उपस्कर जिसमें किट्स, उपसाधित्र (अन्टाना, रोटरी मोटर, फीड लाइन, स्टेंडिंग वेव रेडियो ब्रिज सहित), यन्त्र, फालतू पुर्जे और संघटक शामिल है । उपस्कर निम्नलिखित फ्रीक्वेन्सी रेंज और पावर सीमाओं के भीतर समरूप हो । | | लाइसेंसधारी रेडियो अव्यवसायियों द्वारा अपने निजी कार्यों के लिए (इस सम्बन्ध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा) बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में आयात किए गए ऐसे माल का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य 10 हजार रुपए से अधिक न हो । भारत सरकार, संचार मंत्रालय वायर लेस प्लानिंग एण्ड कोर्डिनेशन विंग की पूर्व अनुमति के बिना आयातित माल किसी भी पार्टी या व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जाएगा। |

1. हाई फ्रीक्वेन्सी (एच० एफ)

| मीटर बैन्ड | फ्रीक्वेन्सी रेन्ज | | अपर पावर लिमिट |
|---|---|---|---|
| 160 एम | 1.8 से | 2.0 एमएचजेड तक | 150 वाट्स |
| 80 एम | 3.5 से | 4.0 एमएचजेड तक | 150 ,, |
| 40 एम | 7.0 से | 7.5 एमएचजेड तक | 150 ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20 एम | 14.0 से 14.50 एमएचजेड तक | 150 वाट्स |
| 15 एम | 21 0 से 21.50 एमएचजेड तक | 150 ,, |
| 10 एम | 29.0 से 30.00 एमएचजेड तक | 150 ,, |
| 2. वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी (वीएचएफ) | | |
| 2 एम | 144 से 148 एमएचजेड तक | 25 वाट्स |
| 3. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी (यू० एच० एफ०) | | |
| 70 एम | 430 से 440 एमएचजेड तक | 25 वाट्स |

टिप्पणी :—हाई फ्रीक्वेन्सी ट्रान्समिसीवर में भी केलिब्रेशन उद्देश्य के लिए 10 एम० एच० जेड से 15 एम० एच० जे० स्टेन्डर्ड फ्रीक्वेन्सी रिकेपशन सुविधा शामिल है ।

| | |
|---|---|
| 7. वाटल सत्त | राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों के वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) और लघु उद्योग निगम । |
| 8. औद्योगिक एक्सरे फिल्में | वास्तविक उपभोक्ता |
| 9. ग्रेफिक आर्ट फिल्में | —वही— |
| 10. ड्राईंग रिप्रोडक्शन फिल्में | —वही— |

टिप्पणी :—(1) आयात "वास्तविक उपभोक्ता" शर्त के अधीन होगा ।

(2) राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों के लघु उद्योग निगमों द्वारा वाटल सत्त का आयात केवल वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) को वितरण के लिए होगा ।

(मिसिल सं० आई पी सी 3/8/80)

ORDER NO. 10/81

**Open General Licence No. 10/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 278(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa /South West Africa, the items of the description specified in the Schedule annexed hereto, by eligible actual Users mentioned against each item, subject to the following conditions :

(1) The import shall be within the value limit indicated against each item in the Schedule and for the purpose specified;

(2) In the case of medical instruments, etc., scientific instruments and chemicals and spare parts of motor vehicles and agricultural tractors, referred to at Serial Nos. 2, 4, 5 and 6 in the annexed schedule, the eligible importer shall, at the time of clearance, give a declaration to the customs authority about the c.i.f. value of such goods already imported under this provision in the same financial year;

(3) In the case of spare parts of motor vehicles, and agricultural tractors, the importer shall also produce to the customs authority the valid Regisrtration Certificate of the vehicle or the tractor concerned, with an evidence of upto date payment/exemption of taxes under the Motor Vehicles Act, 1939;

(4) The goods are shipped on through consignment basis to India on or before 31st March, 1982, without any grace period, what-so-ever;

(5) The licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(6) Nothing in this licence shall affect the application to any goods of prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when they are actually imported.

CHEDULE TO OGL NO. 10/81 DATED THE 3rd APRIL, 1981

| No. | Item | Eligible importers, value limit and purpose of import. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Drugs and medicines. | (i) Hospitals and medical institutions for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed twenty-five thousands rupees<br>(ii) Any individual, for his personal use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed one thousands rupees and<br>(iii) Registered medical practitioners, for their own professional use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed five thousand rupees. |
| 2. | (a) Medical including surgical, optical and dental instruments, apparatus and appliances and replacement parts and accessories thereof and dental materials.<br>(b) Sutures and needles for surgical purposes appearing in list 5 in Appendix 10 of the Import Policy 1981–82. | (i) Hospitals and medical institutions, for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported shall not exceed one lakh rupees, in a financial year.<br>(ii) Registered medical practitioners, for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported shall not exceed five thousands rupees, in a financial year. |
| 3. | X-Ray intensifying screens | Hospitals and radiological clinics, for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed five thousand rupees. |
| 4. | Scientific and measuring instruments and chemicals | Professionals in the fields of science, technology, engineering and medicines, for their |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | own purpose (to which effect evidence shall be produced to the customs authorities), provided the c.i.f. value of such goods imported shall not exceed rupees ten thousand, in a financial year. |
| 5. Spare parts of motor vehicles and agricultural tractors. | Person owning imported vehicles/agricultural tractors, for their own use, upto a c.i.f. value of rupees five thousand in a financial year. |
| 6. Amateur radio communication equipment including kits, accessories (including antenna, retarary motors, feed lines, standing wave radio bridge) instruments, spares and components. The equipment is to conform within the following frequency ranges and power limitations. | By licensed radio amateurs for their own purpose (evidence shall be produced to the Customs authorities to this effect), provided the c.i.f. value of such goods imported in a financial year does not exceed Rs. 10,000/-. Goods imported shall not be transferred to any individual or party without prior permission of the Wireless Planning & Coordination Wing of the Ministry of Communication, Government of India. |

**I. High Frequency (H.F.)**

| Meter Band | Frequency range | Upper power limit |
|---|---|---|
| 160 m | 1.8 to 2.0 Mhz | 150 Watts |
| 80 m | 3.5 to 4.0 Mhz | 150 ,, |
| 40 m | 7.0 to 7.5 Mhz | 150 ,, |
| 20 m | 14.0 to 14.50 Mhz | 150 ,, |
| 15 m | 21.0 to 21.50 Mhz | 150 ,, |
| 10 m | 28.0 to 30.00 Mhz | 150 ,, |

**II. Very High Frequency (VHF)**

| | | |
|---|---|---|
| 2 m | 144 to 148 Mhz | 25 Watts |

**III. Ultra High Frequency (UHF)**

| | | |
|---|---|---|
| 20 m | 430 to 440 Mhz | 25 Watts |

Note: The H.F. transreceivers also incorporate either 10 Mhz to 15 Mhz standard frequency reception facility for calibration purposes.

| | |
|---|---|
| 7. Wattle extract | Actual Users (Industrial) and Small Industries Corporations of State Governments/Union Territoles. |
| 8. Industrial X-Ray films | Actual Users. |
| 9. Graphic art films | Actuals Users. |
| 10. Drawing Reproduction films | Actual Users. |

Note: (1) Imports shall be subject to "Actual User" condition.

(2) Import of Wattle extract by Small Industries Corporations of State Governments/Union Territories shall be for distribution to Actual Users (Industrial) only.

[F. No. IPC3/8/80]

22 GI/81—3

## आदेश सं० 11/81

## खुला सामान्य लाइसेंस सं० 11/81

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 279(अ)**.—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एकीकृत इस्पात संयंत्रों, छोटे इस्पात संयंत्रों और विद्युतीय ताप भट्टियों द्वारा (क) फायर क्ले स्टोपर हैड्स और नोजल्स से भिन्न स्टोपर हेड्स और नोजल्ज और (ख) तांबे के सांचों (लगातार बिलैट की ढलाई के लिए) का दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से आयात करने की सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती है :—

(1) उपर्युक्त मद (क) का आयात केवल एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाएगा ।

(2) इस तरह आयात किए जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में उत्पादित नहीं किया गया हो या विनिर्मित नहीं किया गया हो ।

(3) ऐसे माल का बिना किसी अवधि, रियायती अवधि, जो भी हो, 31 मार्च, 1982 को या इससे पहले प्रेषण के द्वारा पोतलदान हो गया हो ।

(4) आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा, और

(5) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

[मिसिल संख्या आईपीसी 3/8/80]

ORDER NO. 11/81

**Open General Licence No. 11/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 279(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Import and Export (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import by integrated steel plants, mini steel plants and electric arc furnaces of (a) Stopper heads and nozzles other than fire clay stopper heads & nozzles, and (b) copper moulds (for continuous billet casting), from any country except Union of South Africa/South West Africa, subject to the following conditions :—

(i) Item (a) above shall be imported only by integrated steel plants;

(ii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(iii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, without any grace period, what-so-ever;

(iv) The imports shall be subject to 'Actual User' condition; and

(v) Nothing in this Licence shall affect the application to the goods, in question, of any other prohibition or regulation, affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC 3/8/80]

**आदेश संख्या 12/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस सं० 12/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का०आ० 280 (अ)** .—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947(1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ के अतिरिक्त किसी भी देश के सरकारी विभागों (केन्द्रीय अथवा राज्य), अथवा सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित परियोजना से उपस्कर, मशीनरी और फालतू पुर्जों के भारत में आयात की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्य अनुमति देती हैं:—

(1) भारत सरकार और संबंधित विदेशी सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार विषयाधीन माल का निःशुल्क आयात किया जाता है;

(2) आयातित माल भारतीय सरकार और सम्बन्धित विदेशी सरकार के बीच किए गए संगत समझौते के अनुसार है, और इस सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय अथवा सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा;

(3) ऐसे माल का प्रेषण द्वारा भारत में 31 मार्च, 1982 को अथवा उससे पूर्व, बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो लदान किया जाता है ;

(4) ऐसा माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ में उत्पन्न अथवा विनिर्मित नहीं हो; और

(5) किसी माल के लिए उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. इस लाइसेंस के अन्तर्गत दो सरकारों के बीच हुए समझौते के अधीन भारत में परियोजना का निष्पादन करने के लिए भारत आने वाले विदेशी विशेषज्ञों के व्यक्तिगत सामान के आयात की अनुमति भी, निकासी के समय प्रशासनिक मंत्रालय अथवा संबंधित परियोजना प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि आयातित माल (जिसका ब्यौरा प्रमाणपत्र में दिया जाना है) भारत सरकार के सम्बन्धित विदेशी सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार किया गया है । आयात इस शर्त पर भी होगा कि ज्यों ही सम्बन्धित विदेशी विशेषज्ञ अपना कार्य पूर्ण कर भारत से जाने लगे तो (उपभोज्य माल से भिन्न) अन्य माल का पुनः निर्यात किया जाएगा ।

[मि० सं० आईपीसी 3/8/80]

ORDER NO. 12/81

**Open General Licence No. 12/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 280(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, any goods by Government Departments (Central or State) or projects owned or controlled by Government, subject to the following conditions :—

(i) The goods, in question, are imported free of cost in pursuance of an Agreement between the Government of India and the foreign Government concerned;

(ii) The goods imported are in accordance with the relevant agreement entered into between the Government of India and the foreign Government concerned, and a certificate to this effect issued by the administrative Ministry or the Project Authority concerned shall be produced to the customs authorities at the time of clearance;

(iii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, without any grace period what-so-ever;

(iv) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa; and

(v) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

2. Under this Licence, import will also be allowed of personnel effects of foreign experts coming to India under Government-to-Government Agreement for the execution of a project in India on production of a certificate of the Administrative Ministry or the Project Authority concerned, at the time of clearance, to the effect that imported goods to be mentioned in the certificate) are in accordance with the agreement entered into by the Government of India with the foreign Government concerned. The import shall also be subject to the condition that the goods (other than consumables) are re-exported as soon as the foreign expert concerned leaves Indian after completion of his assignment.

[F. No. IPC 3/8/80]

**आदेश संख्या 13/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस सं० 13/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का०आ० 281 (अ)** .—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा—3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रत्न तथा आभूषण

और स्वर्णकार एवं शिल्पकारों की सहकारी समितियों के पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयात नीति 1981-82 के परिशिष्ट 10 की सूची–1 में दर्शाए गए रत्न और आभूषण के उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपकरण, परीक्षण उपस्कर, औजार एवं यंत्र का आयात करने के लिए दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से आयात करने की सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

(1) आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा;

(2) रत्न एवं आभूषण के पंजीकृत निर्यातक माल की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को अपने पंजीकरण का विवरण देते हुए इस संबंध में एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के पास निर्यातक के रूप में पंजीकृत है और यह सुनिश्चय करते हुए कि उक्त पंजीकरण न तो रद्द किया गया है अथवा वापस किया गया है अथवा अन्यथा रूप से प्रभावी है । स्वर्णकारों और शिल्पकारों की सहकारिता समिति इसी प्रकार से सहकारी समिति के रूप में अपने पंजीकरण के विषय में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करेगी ;

(3) इस प्रकार का आयातित माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में उत्पादित अथवा विनिर्मित नहीं है ;

(4) ये माल 31 मार्च, 1982 को अथवा उससे पहले बिना कोई अवधि बढ़ाए चाहे जो भी हो, भारत को परेषण के माध्यम से भेजे जाते हैं ;

(5) यह अनुमति आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची–5 की शर्त (7) के अधीन होगी ;

(6) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

[मि०सं० आईपीसी 3/8/80]

ORDER NO. 13/81

**Open General Licence No. 13/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 281(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import of machinery, equipment, testing apparatus, tools and implements, required for Gem and Jewellery industry, appearing in List 1 of Appendix. 10 of the Import Policy, 1981-82, by Registered Exporters of gem and jewellery and Co-operative Societies of goldsmiths and artisans, from any country except the Union of South Africa/South West Africa, subject to the following conditions :—

(1) The import shall be subject to "Actual User" condition;

(2) Registered Exporter of Gems and Jewellery will furnish to the Customs authorities at the time of clearance of goods, a declaration giving particulars of his registration as an exporter with the Gem and Jewellery Export Promotion Council and affirming that such registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. A Co-operative Society of goldsmiths and artisans will, likewise, furnish a declaration about its registration as a Co-operative Society;

(3) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(4) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 31st March, 1982, without any grace period, what-so-ever;

(5) This licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(6) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation, affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC 3/8/80]

**आदेश संख्या 14/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 14/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 282 (अ).**—आयात-निर्यात (नियंत्रण), अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन (क) सरकारी औद्योगिक संस्थान (विभागों द्वारा परिचालित) (ख) रेलवों (ग) सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य विद्युततीय बोर्ड/परियोजना संस्थान और (घ) रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य और फालतू पुर्जों का आयात करने की सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

1. सरकारी औद्योगिक संस्थानों (विभागों द्वारा परिचालित किन्तु इसमें रक्षा संस्थान शामिल नहीं है) और रेलवे के मामले में कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य, फालतू पुर्जों एवं पूंजीगत माल को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि :—

(1) आयात नीति 1981-82 के परिशिष्ट 3, 6 और 30 के अधीन आने वाली निषेध मदों के आयात के लिए महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली से देशी निकासी प्राप्त कर ली हो;

(2) जहां 5 लाख रुपए या इससे अधिक के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य की इलैक्ट्रानिक मदें जिनमें प्रतिकृति उपकरण भी शामिल हों और मूल्य को ध्यान में रखे बिना समुद्रीय इलैक्ट्रानिक उपकरण व उनके पुर्जों का आयात शामिल हो वहां इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली से निकासी प्राप्त कर ली हो;

(3) आयातित पूंजीगत माल की मदें वे हैं जो आयात नीति, 1981-82 के परिशिष्ट 2 में निहित हैं;

(4) प्रशासकीय मंत्रालय/वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे आयात किया गया हो; और

(5) निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारी को उपर्युक्त (1), (2) और (4) के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य विद्युततीय बोर्ड/परियोजना संस्थानों और महानिदेशक "दूरदर्शन", नई दिल्ली के मामले में फालतू पुर्जों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमेय होगा बशर्ते कि :—

(1) इस उद्देश्य के लिए आयात, सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किया गया हो;

(2) गैर अनुमेय फालतू पुर्जे अर्थात् जो 1981-82 की आयात नीति के परिशिष्ट 3 और 30 में आते हैं उनके लिए देशी निकासी महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली से प्राप्त कर ली गई हो;

(3) जहां 5 लाख रुपए के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य या इससे अधिक मूल्य की इलैक्ट्रानिक मदों का आयात शामिल हो वहां निकासी इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त कर ली गई हो; और

(4) निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उपर्युक्त (1), (2) और (3) के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों।

3. रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :—

(1) कच्चा माल, संघटकों, उपभोज्य और फालतू पुर्जों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात नीति, 1981-82 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर अनुमेय होगा, देखें आयात नीति 1981-82 के परिशिष्ट 10 की मद सं० 1, 2, और 4;

(2) अनुसंधान एवं विकास एकक कच्चा माल और अन्य माल आयात करने के लिए आयात नीति, 1981-82 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर पात्र होंगे, देखें आयात नीति 1981-82 के परिशिष्ट 10 की मद संख्या—5;

(3) पूंजीगत माल का आयात तभी अनुमेय होगा यदि वे आयात नीति, 1981-82 के परिशिष्ट 2 में दर्शाई गई हो;

(4) आयात का कुल मूल्य, रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसे आयात के लिए 1981-82 वर्ष के दौरान सम्बद्ध औद्योगिक एककों को आवंटित विदेशी मुद्रा से अधिक नहीं होना चाहिए और सीमा शुल्क द्वारा निकासी के समय आयातक को इस आशय का घोषणा पत्र देना चाहिए कि निकासी के अधीन/पहले से ही निकासी किए गए माल का मूल्य, रक्षा मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए 1981-82 में आयातक एकक को रिहा की गई कुल विदेशी मुद्रा की राशि से अधिक नही है।

4. इस प्रकार आयातित माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में विनिर्मित या उत्पादित नहीं हुआ है।

5. ऐसा माल भारत को परेषण के माध्यम से 31-3-82 को या इससे पहले जहाज पर लादा गया हो और कच्चे माल, संघटक और उपभोज्य के मामले में उन पक्के आदेशों के मद्दे जिनके लिए 28-2-1982 को या इससे पूर्व अपरिवर्तनीय साखपत्र खोले गए हों माल 30-6-82 को या इससे पूर्व जहाज पर लादा गया हो, या फालतू पुर्जों के मामले में की गई पक्की संविदाओं और बिना किसी रियायत अवधि के, जो भी हो, 28-2-82 को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के पास पंजीकृत के मद्दे इनका लदान 31-3-83 को या इससे पूर्व हुआ हो।

6. किसी माल के लिए उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[मिसिल संख्या-आई०पी०सी 3/8/80]

ORDER NO. 14/81

**Open General Licence No. 14/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 282(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government gives general permission to (a) Government Industrial Undertaking (Departmentally-run), (b) Railways, (c) State Electricity Boards/Undertakings Projects, in the public sector, and (d) Public Sector Industrial Undertakings, under the Ministry of Defence, to import raw materials, components, consumables and spares, from any country except the Union of South Africa/South-West Africa, subject to the following conditions :—

(1) In the case of Government Industrial Undertakings (Departmentally-run excluding however, Defence Undertakings), and Railways import of raw materials, components, consumables, spares and Capital Goods will be allowed under OGL, provided :—

(i) For import of banned items covered by Appendices 3, 6 and 30 of the Import Policy, 1981-82, indigenous clearance has been obtained from DGTD, New Delhi.

(ii) Where import of any electronic items including facsimile equipment for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more and marine electronic equipment and parts

irrespective of value, is involved, clearance has been obtained from the Department of Electronics, New Delhi;

(iii) Items of Capital Goods imported are those covered by Appendix 2 of Import Policy, 1981-82.

(iv) import is made against foreign exchange released by the Administrative Ministry/Ministry of Finance (Department of Economic Affairs); and

(v) necessary evidence of (i), (ii) and (iv) above is produced to the customs authority at the time of clearanec.

(2) In the case of State Electricity Boards/Projects/Undertakings, in the public sector, and the Director General "Doordarshan", New Delhi, import of spares only will be allowed under OGL, provided :—

(i) Import is made against foreign exchange released by the Government for the purpose;

(ii) in respect of non-permissible spares i.e. those covered by Appendices 3 and 30 of the Import Policy 1981-82, indigenous clearance has been obtained from DGTD, New Delhi;

(iii) where import of any electronic items for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more is involved, clearance has been obtained from the Deptt. of Electronics, New Delhi; and

(iv) necessary evidence of (i), (ii) and (iii) above is produced to the customs authority at the time of clearance.

(3) In the case of public sector Industrial Undertaking under the Ministry of Defence, the following provisions will apply :—

(i) import of raw materials, components, consumables and spares will be allowed under OGL vide items Nos. 1, 2 and 4 of Appendix 10 of the Import Policy, 1981-82 subject to the conditions laid down therein;

(ii) R & D units will be eligible to import raw materials and other items vide item No. 5 in App. 10 of the Import Policy 1981-82 subject to the conditions laid down therein;

(iii) Import of Capital Goods will be allowed only if they appear in Appendix 2 of Import Policy, 1981-82.

(iv) the total value of imports shall not exceed the foreign exchange allocated to the industrial unit concerned by the Ministry of Defence for the purpose of such imports during the year 1981-82; and at the time of clearance through customs, the importer unit shall submit a declaration to the effect that the value of goods under clearance/already cleared does not exceed the total amount of foreign exchange released for the purpose by the Ministry of Defence to the importing unit concerned in 1981-82.

(4) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(5) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31-3-1982, or in the case of raw materials, components and consumables, the goods are shipped on or before 30-6-1982 against firm orders for which irrevocable letters of credit are opened on or before 28-2-1982, or in the case of spares these are shipped on or before 31-3-1983, against firm contracts entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28-2-1982, without any grace period, whatsoever.

(6) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC 3/8/80]

**आदेश संख्या 15/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 15/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 283 (अ)**:—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस आदेश से संलग्न अनुसूची में विशिष्टिकृत विवरण के माल का दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी/पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन देती है :—

1. क्रम सं० 1 में शामिल "अध्यापन सहायक" के मामले को छोड़कर इस आदेश से संलग्न अनुसूची में शामिल अन्य सभी मदें किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टाक करने और बिक्री करने के उद्देश्य के लिए आयात की जा सकती हैं।

2. "अध्यापन सहायकों" के मामले में आयात की अनुमति केवल मान्यता प्राप्त शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों, इन संस्थानों के पुस्तकालयों, केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी हुई औद्योगिक यूनिटों, पंजीकृत चिकित्सकों, अस्पतालों, परामर्शदाताओं, मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडलों, उत्पादकता परिषदों, प्रबंध संघों और व्यवसायिक निकायों को उनके निजी उपयोग के लिए दी जाएगी।

3. शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों के आयात के मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(क) शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से पहले ही लिखित रूप में निकासी की अनुमति लिए बिना एक लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही शीर्षक की 1000 प्रतियां से अधिक के आयात की अनुमति एक ही आयातक (उसकी शाखाओं सहित) को नहीं दी जाएगी। लेकिन यह प्रतिबंध अंग्रेजी भाषा पुस्तक सोसायटी शीर्षकों और संयुक्त भारत रूस पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकों के लिए लागू नहीं होगा।

(ख) विदेशी संस्करण की उन पुस्तकों के आयात की अनुमति नही दी जाएगी जिनके भारतीय पुनः मुद्रण के अधुनातन संस्करण उपलब्ध हैं।

(ग) भारतीय समुद्र तट के केवल ऐसे नौ परिवहन संबंधी चार्टों के आयात की अनुमति दी जाएगी जिनकी संख्या हाइड्रोग्राफर, भारत सरकार, देहरादून द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो।

(घ) अश्लील सामग्री वाली या यौन चित्रण करने वाली या हिंसा भड़काने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रिकाओं को आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) 1978 या इसके बाद में प्रकाशित पुस्तकों की आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) विदेश में प्रकाशित पुस्तकों के अप्राधिकृत पुनः प्रकाशनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. औषध मदों के मामले में जहां कहीं आवश्यक हो, औषध एवं साज शृंगार सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन वैध लाइसेंस रखने की आवश्यकता पूर्ण कर देनी चाहिए।

5. खजूर, होम्योपैथिक औषधियों, कैन्सर निरोधक भेषजों, जीवन रक्षक भेषजों और अपरिष्कृत भेषजों के मामले में परम्परागत छोटे पैकिंग में भी आयात अनुमेय होगा।

6. अनुसूची की मद सं० 14 और 15 पर उल्लिखित मसालों और खजूरों के मामले में आयातक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (नीति—3 अनुभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली को निम्नलिखित प्रपत्र में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा—

(1) आयातक का नाम और पता

(2) आयात की गई पण्य वस्तु का विवरण

(3) सीमाशुल्क से निकासी की तिथि

(4) आयातित मात्रा

(5) आयात किए गए माल परेषण का कुल लागत-बीमा भाड़ा मूल्य

(6) यूनिट कीमत (रुपयों में)

प्रत्येक तिमाही की रिपोर्ट सम्बद्ध तिमाही के अगले महीने की 15 तारीख तक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को पहुंच जानी चाहिए।

7. इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ में उत्पादित या विनिर्मित न हो।

8. ऐसा माल भारत को परेषण के माध्यम से किसी भी रियायती अवधि के बिना 31 मार्च, 1982 को या इससे पहले पोत पर लादा गया हो।

9. यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त संख्या 1 के भी अधीन होगा।

10. यदि किसी माल के आयात के समय लागू उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई निषेध या विनियम होगा तो उस पर इस लाइसेंस का कोई प्रभाव नहीं होगा।

**खुले सामान्य : 15/81, दिनांक 3 अप्रैल 1981 के लिए अनुसूची**

1. निम्नलिखित अध्यापन सहाय :

(1) शैक्षिक प्रकृति की माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिचिज

(2) शैक्षिक प्रकृति के प्री-रिकार्डिड कैसेट्स फिल्म स्ट्रिप्स सहित या रहित

2. ब्रेल टाइपराइटर सहित अन्धे व्यक्तियों के लिए अपेक्षित औजार और उपकरण

3. शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें और पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं और समाचारपत्र

4. बैटल छाल, चमड़ा कमाने के लिए

5. अम्ल मार्जित चमड़ा, खाल, पेल्ट, स्पिलट और उनके भाग

6. चमड़ा और खाल, कच्ची या लवणित जिस मामले में चमड़े और खाल का मूल्य उन पर ऊन/बालों से अधिक हो

7. क्वैदराचो सत्त चेस्टनट सत्त और परिशोधित यूकेलिप्टिस सत्त (माटिन)

8. आयात-नीति 1981-82 के परिशिष्ट-10 की सूची-2 में आने वाले जीवन रक्षक उपस्कर और उनके फालतू पुर्जे

9. परिवार कल्याण उपस्कर/यंत्र उपकरण अर्थात् निम्नलिखित :—

(1)(क) लेप्रोस्कोप

(ख) कल्डस्कोप

(ग) हिस्टेरोस्कोप

(घ) वैक्यूम सैक्शन आपरेटर्स

(ङ) उनके उपसाधित्र और फालतू पुर्जे भी और

(2) रबड़ कंट्रासेप्टिव (केवल डायफाम्स)

(3) इन्टरोटेरिन कन्ट्रासेपटिव यंत्र (लप्स लूए और सी० यू० टी० 200 से भिन्न) रंगीन कन्डोमस, डायफ्रेगम्स

जैली और फोम टिकियां, भारत के औषध नियंत्रक नई दिल्ली द्वारा यथा अनुमोदित।

10. आयात-नीति 1981-82 के परिशिष्ट 10 की सूची-3 में आने वाले परिष्कृत भेषज प्रिपेरेशन, जीवन-वायक और कैंसर रोधी भेषज।

11. परिष्कृत रूप में होम्योपैथिक औषधियां या मूल रूप में और या किसी भी पोटेन्सी में होम्योपैथिक भेषज (सिगल) "दुग्ध चीनी" सहित थोक में और वायोकेमिक औषधियां।

12. आयात-नीति 1981-82 के परिशिष्ट-10 की सूची के अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां बनाने के लिए अपेक्षित अपरिष्कृत भेषज (जेड़, मोतियों और मोंगो के आयात की अनुमति केवल चूर्ण रूप में और केवल गैर आभूषण किस्म के लिए दी जाएगी।

13. बाल

14. निम्नलिखित मसालें:—

(1) दाल-चीनी तेजपात

(2) जायफल जावित्री

(3) लौंग

15. खजूर गीले या सूखे) (भारतीय पात-आधानों द्वारा आयातित)

16. सेंधा नमक

17. (1) निम्नलिखित एक्स-रे फिल्में (चिकित्सा)

(1) साइन एन्गियोगापिक फिल्में

(2) कार्पिंग फिल्में

(3) दन्तूय एक्स-रे फिल्में

(4) बिना स्क्रीन के उपयोग की जाने वाली फिल्में

(5) लोन्डोज में मोग्राफिक फिल्में

(6) मास मिनएचर फिल्म

(7) डप्लिकेटिंग फिल्मों के लिए 35 मि० मि० नैगेटिव और रिवर्सल किस्म की फिल्में

(8) परसोनल मोनिटरिंग फिल्में

(9) चेन्जर्स के उपयोग के लिए विशेष किस्म की एक्स-रे फिल्में

(2) एरोग्राफिक फिल्में

(3) फोटोटाइप सैटिंग आर० सी० /स्टैबिलाइजेशन पेपर

(4) मुद्रण उद्योग के लिए थर्मोग्राफिक पोलिमिड रेजिंग एम्बोसिंग पाउडर

(5) माइक्रोफाइल फिल्में

(6) इन्फ्रा-रेड और अल्ट्र-वायलैट फिल्में

18. हाथघड़ी/दीवार घड़ी और टाइम-पीस के लिए स्नेहक तेल

19. बबूल का गोंद

20. विस्कोस फिलामेंट यार्न, 600 डेनियर तक

21. कपरेमोनियम फिलामेंट यार्न

22. शैक्षणिक और उपदेश संबंधी छोटी फिल्में, यदि वे फिल्में सेन्सर बोर्ड द्वारा "प्रधानतः शैक्षिक" सत्यापित की गई हों।

23. फोटोग्राफिक फिल्में (रंगीन)

24. फोटोग्राफिक कलर पेपर

25. भाषा सीखने के लिए रिकार्ड

26. रुद्राक्ष मनके

27. निम्नलिखित सिनेमेटोग्राफिक फिल्में, अनभिदर्शित :—

(1) 8 एम० एम० (रंगीन)

(2) 8 एम० एम० (सादी नेगेटिव)

28. 1981-82 की आयात नीति के परिशिष्ट 10 में सूची सं० 6 के अनुसार दन्तूय सामग्री

29. निम्नलिखित के फालतू पुर्जे जो परिशिष्ट 3, 5 और 30 में शामिल नही है :—

(1) मुद्रण मशीनरी

(2) मशीनी औजार, धातु, लकड़ी, कांच और प्लास्टिक को काटने, रूप देने, घिसने और पालिश करने के लिए, किसी भी मानक या अनुषगी उपस्कर सहित

(3) सिनेमेटोग्राफिक उपस्कर, और

(4) (क) केवल शीर्षक सं० 84.22, 84.23, और 87.02 के अंतर्गत आने वाली किस्मों की मुदवाही मशीनरी परन्तु इसमें उनके प्राइम-मूवर्स और उनके पुर्जे शामिल नहीं है (ख) शीर्षक सं० 84.06 में शामिल 75 अश्व शक्ति से ऊपर के अन्तर दहन इंजिन।

[मिसिल सं० आई पी०सी 3/8/80]

ORDER NO. 15/81

**Open General Licence No. 15/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 283(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa|South West Africa, goods of the description specified in the Schedule annexed to this Order, subject to the following conditions :

(1) Except in the case of "Teaching Aids" covered by Serial No. 1, all other items covered by the Schedule annexed to this Order, may be, imported by any person, for stock and sale purposes ;

(2) In the case of "Teaching Aids", import will be allowed only by recognised educational scientific, technical and research institutions, libraries of such institutions, Central or State Government departments, industrial units engaged in research and development work, registered medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of Commerce, productivity councils, management associations and professional bodies, for their own use;

(3) In the case of import of educational, scientific and technical books, the following conditions shall apply :

(a) Import will not be permitted by any one importer (including his branches) of more than 1,000 copies of a single title during the licensing period without the prior written clearance of the Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi. This restriction will not, however, apply to the English Language Book, Society titles and books under the Joint Indo-Soviet Text Book Programme ;

(b) Import of foreign edition of books for which editions of Indian reprints are available, will not be allowed ;

(c) Import of only such navigational charts of Indian coastlines will be allowed as are specifically cleared by the Chief Hydrographer to the Government of India, Dehradun ;

(d) Books, magazines and journals, containing pernographic materials or depicting sex, violence etc. will not be allowed to be imported.

(e) Import of books published in 1978 or after will not be allowed ;

(f) Import of unauthorised reprints of books published abroad will not be allowed.

(4) In the case of drug items, the requirements regarding possession of a valid licence under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, wherever necessary, should be complied with ;

(5) In the case of dates, homoeopathic medicines, anticancer drugs, life saving drugs and crude drugs, import will also be allowed in traditional small packing ;

(6) In the case of spices and dates referre dto at item Nos. 14 and 15 of the Schedule, the importer shall furnish to the Chief Controller of Imports & Exports (Policy III Section), Udyog Bhavan, New Delhi, quarterly reports of imports in the following proforma :—

1. Name & Address of the importer.

2. Description of the commodity imported.

3. Date of clearance through customs.

4. Quantity imported.

5. Total c.i.f. value of the consignments imported.

6. Unit price (in rupees).

The report in respect of each quarter should reach the Chief Controller of Imports and Exports by the 15th day of the month following the concerned quarter.

(7) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(8) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, without any grace period, whatsoever.

(9) This Licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V of the Imports (Control) Order, 1955;

(10) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any porhibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported :

SCHEDULE TO OPEN GENERAL LICENCE NO 15|81
Dated : the 3rd April, 1981

1. Teaching Aids, the following :

(i) Microfilms and Microfiches of educational nature ;

(ii) Pre-recorded vide and audie cassettes of educational nature, with or without film strips.

2. Instruments and equipment required by blind, including Braille typewriters.

3. Educational, scientific and technical books and journals news-magazines and newspapers.

4. Wattle Bark for tanning leather.

5. Pickled hides, skins, pelts, splits and parts thereof.

6. Hides and skins, raw or salted where the value of hides and skins is more than that of wool/hair thereon.

7. Quebracho extract, chestnut extract and modified eucalyptus extract (Myrtan).

8. Life Saving Equipment appearing in list No. 2 of Appendix 10 of Import Policy, 1981-82 and their spares.

9. Family Welfare equipment/instruments, appliances, namely the following :

(i) (a) Laprescope ;

(b) Culdscope ;

(c) Hysteroscope ;

(d) Vaccum Suction apparatus ;

(e) as well as their accessories and spares; and

(ii) Rubber contraceptives (diaphragms only);

(iii) Intrauterine Contraceptive Devices (other than the Lippos' Loop and Cu-T200), coloured condems, diaphragm, jally and from tablets, as approved by Drugs Controller of India, New Delhi.

10. Finished drug prepiations, life saving and anti cancer drugs appearing in List No. 3 in Appendix. 10 of the Import Policy for 1981-82.

11. Homoeopa hic medicines in finished form or Homoeopathic drugs (single) in basic form and/or of any potency, including 'Sugar of Milk' in bulk and biochemic medicines.

12. Crude drugs required for making Ayurvedic and Unani medicines, as appearing in List No. 4 in Appendix 10 of Import Policy for 1981-82 (Import of Jado, pearls, and corals will be allowed only in powder form and of non-jewellery quality only).

13. Pulses.

14. Spices, the following :

(i) Cinnamon/Cassia,

(ii) Nutmeg/mace,

(iii) Clove.

15. Dates (wet or dry) (imported by Indian Sailing vessels)

16. Rock Salt.

17. (i) X-ray films (medical), the following :

(1) Cine angiographic films.

(2) Copying films.

(3) Dental X-ray film.

(4) Films for use without screens.

(5) Lo-dose mammographic films.

(6) Mass miniature film.

(7) 35 mm negative and reversal types for duplicating films.

(8) Personal monitoring films.

(9) Special types of X-ray films used for changeds.

(ii) Aerographic films.

(iii) Photo type setting RC/Stablisation paper.

(iv) Thermo graphic polymid raising and embossing powder for printing industry.

(v) Microfile films.

(vi) Infra-red and ultra-violet films.

18. Lubricating oils for watches, clocks, time pieces and house service meters.

19. Gum Arabic.

20. Viscose filament yarn upto 600 deniers.

21. Cuprammenium filament yarn.

22. Educational and instructional short films, if certified by the Board of Film Censors to be "prodominantly educational."

23. Photographic films (colour).

24. Photographic colour papers.

25. Records for learning of languages.

26. Rudraksha beads.

27. Cinematographic films, not exposed, the following :—

(i) 8 mm (colour), and

(ii) 8 mm (black and white negative).

28. Dental materials as per List No. 6 in Appendix. 10 of Import policy for 1981-82.

29. Spares, except those included in the Appendices 3, 5 and 30 of :—

(1) Printing machinery,

(2) Machine tools, for cutting, forming, abrading & polishing metals, wood, glass and plastics, including any standard or ancillary equipment.

(3) Cinematographic equipment, and

(4) (a) Earthmoving machinery, Blast Hole Drills only of the types falling under Heading Nos. 84.22, 84.23 and 87.02 excluding however their prime movers & parts thereof and (b) internal combustion engines above 75 HP covered by Heading No. 84.06.

[File No. IPC/4/8/80]

**आदेश संख्या-16/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस संख्या-16/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल 1981

**का० आ० 284(अ).**—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृषि विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाल्ट्री फार्मों/अण्डज शालाओं को (क) पाल्ट्री वैक्सीन (सभी प्रकार के), और (ख) उच्च श्रेणी की मोलिब्डिनम अयस्क और मोलिब्डेनम धातु (कतरन सहित) मोलिब्डिक अक्साइड/मोलिब्डिनम आक्साइड (ग) उपयोग किए गए रबड़ के टायरों की कतरन, (घ) नाइलन रद्दी और (ङ) कागज की रद्दी को इन मदों की आवश्यकता वाले किसी भी औद्योगिक एकक को दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी देश से आयात की सामान्य अनुमति देती है :—

1. पाल्ट्री वैक्सीन के आयात के मामले में—

(1) सीमा शुल्क से माल की निकासी के समय आयातक कृषि विभाग, नई दिल्ली से या सम्बद्ध राज्य

के पशु पालन/पशु चिकित्सा सेवाओ से सम्बद्ध पार्टी के लिए सामग्री (विवरण/मात्रा/मूल्य) की अनिवार्यता के सम्बन्ध मे एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(2) आयातित माल सम्बद्ध पाल्ट्री फर्मों/अण्डजशालाओ के पास "वास्तविक उपयोक्ता" की शर्त के अधीन होगा ।

2. उपयोग किए गए/कतरन रबड़ टायरों के मामले मे आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जबकि निर्यात करने वाले देश से पोतलदान होने से पहले या सीमा शुल्क प्राधिकारी से निकासी करने से पहले ऐसा प्रत्येक टायर कम से कम एक कट से प्रभावित हो । इस मद के लिए केवल रबड़ सुधार मे लगे हुए वास्तविक उपयोकता (औद्योगिक) ही पात्र आयातक होगे।

3. नाइलन रद्दी के मामले मे केवल वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) ही पात्र आयातक होगे जो केप्रोलेक्टम की प्रति-प्राप्ति मे लगे हुए हों और सीमा शुल्क प्राधिकारी से माल की निकासी के समय इस सम्बन्ध मे महानिदेशालय तकनीकी विकास से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

4. कागज की रद्दी के मामले में केवल वे वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) पात्र आयातक होंगे जो लुगदी कागज और गत्ते के विनिर्माण मे लगे हुए हो ।

5. माल की निकासी के समय सम्बद्धध प्राधिकारी के साथ एक औद्योगिक संस्थान के रुप में अपने लाइसेंस/पंजीकरण का ब्यौरा देते हुए और यह शपथ लेते हुए आयातक औद्योगिक एकक एक घोषणापत्र सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण तो रद्द किया गया है, न वापस लिया गया है और न अन्य प्रकार से अप्रभावी किया गया है जिन मामलो मे सम्बद्ध आयोजक प्राधिकारी द्वारा अलग पंजीकरण संख्या आवंटित न की गई हो उनमे आयातक सीमा शुल्क प्राधिकारियो को संतुष्टि के लिए वह अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि वह औद्योगिक एकक के रूप मे अनुज्ञप्त/पंजकृत है ।

6. आयोजक प्राधिकारी के साथ अन्तिम पंजीकरण रखने वाला वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) भी इस लाइसेंस के अंतर्गत आयात के लिए पात्र होगा ।

7. आयातक इस लाइसेंस के अंतर्गत आयात किए गए माल के उपयोग और उपभोग का लेखा निर्धारित प्रपत्र मे और निर्धारित तरीके से रखेगा और लेखे को ऐसे समय के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को या अन्य सरकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इन प्राधिकारियो द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

8. इस लाइसेंस के अंतर्गत आयात की गई मदों के विवरण और मूल्य को निर्दिष्ट करते हुए आयातक आवधिक विवरणपत्र आयोजक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा यह विवरण पत्र 30-9-81 और 31-3-82 की स्थिति के अनुसार भेजे जायेगे । ऐसा प्रत्येक विवरणपत्र निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से 15 दिनो के भीतर भेजा जाएगा ।

9. इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका मे उत्पादित या विनिर्मित न हो ।

10. ऐसा माल किसी भी रियायती अवधि, चाहे वह जो कुछ भी हो, के बिना 31 मार्च, 1982 को या इससे पहले परेषण के माध्यम से भारत के लिए लादा गया हो ।

11. यह लाइसेंस आयात नियंत्रण आदेश 1955 की अनुसूची-5 की शर्त संख्या-1 के भी अधीन होगा ।

12 किसी माल के लिए उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा ।

13. अन्य कानून या विनियमो के अंतर्गत वास्तविक हो उपयोक्ता को जो अनिवार्यता या अनुपालन पूर्ण करने है यह लाइसेंस उनसे कोई उन्मुक्ति, छूट या रियायत किसी भी समय प्रदान नहीं करता है । आयातकों को सभी अन्य कानूनो के उप-बन्धो का पालन करना चाहिए जो उन पर लागू है ।

[नि०सं० आई पी सी/3/8/80]

**ORDER NO. 16|81**

**OPEN GENERAL LICENCE NO. 16|81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S O 284(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import of (a) poultry vaccines (all types) by poultry farms|ha cheries approved by the Department of Agriculture, Government of Indla, New Delhi; and (b) high grade molybdenum ore and molybdenum metal (including scrap) Molybdic oxlde/molybdenum oxide, (c) use/scrap rubber tyres, (d) Nylon waste and (e) paper waste, by industrial unlts requiring these Items, from any countiy except the Union of South Africa/South West Africa, subject to the followlng conditious'—

(1) In the case of import of poultry vaccines :—

(i) The importer shall, at the time of clearance of goods from the customs, furnish a certificate from the Department of Agriculture, New Delhi or the concerned State Director of Animal Husbandry/ Veterinaiy Services, regarding, the essentially of the material (description|quantity|value) to the party concerned;

(ii) The imported material shall be subject to the "Actual User" condition at the hands of the poultry farm/hatchery concerned.

(2) In the case of used/scrap rubber tyres, import will be allowed only if each such tyre has been subjected to atleast one cut before shipment from the exporting country or before clearance from the customs. The eligible importers for this item will be only Actual Users (Industrial) engaged in reclaiming rubber.

(3) In the case of nylon waste, the eligible importers will be only Actual Users (Industrial) engaged in the recovery of caprolactum and a certificate from the Directorate General of Technical Development, New Delhi, shall be produced to this effect at the time of clearance through the customs.

(4) In the case of paper waste, eligible importers will be only Actual Users (Industrial) engaged in the manufacture of pulp, paper and paper board.

(5) At the time of clearance of goods, the importer industrial unit shall furnish to the customs authority, a declaration giving particulars of its licence/registration as an industrial undertaking with the concerned authority, and affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/registered as industrial unit.

(6) Actual Users (Industrial) having provisional registration with the sponsoring authority will also be eligible to import under this licence.

(7) The importer shall maintain proper account on consumption and utilisation of the goods imported under this licence in the form and manner laid down and produce such account to the licensing authority or any other Government authority within such time as may be specified by it.

(8) The importers shall submit to the sponsoring authority concerned, periodical returns indicating the description and the value of the items imported under this licence. These returns shall be furnished as on 30-9-1981 and 31-3-1982. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period indicated.

(9) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(10) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, without any grace period, whatsoever.

(11) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Import (Control) Order, 1955.

(12) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

(13) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

[F. No. IPC/3/8/80]

**आदेश संख्या 17/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 17/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का०आ०** 285(अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के संघ 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा इस आदेश से संलग्न अनुसूची में विशिष्टिकृत विवरण के माल का दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश में निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) इस लाइसेंस के अंतर्गत आयात की अनुमति केवल मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के लघु उद्योग निगमों द्वारा जारी किए गए वैध निर्यात सदन प्रमाण पत्रों के धारक निर्यात सदनों को दी जाएगी।

(2) निकासी के समय पात्र निर्यात सदन सीमाशुल्क प्राधिकारियों को अपने वैध निर्यात सदन प्रमाण पत्रों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे। ऐसा प्रमाण पत्र माल के पोत लदान की तिथि को वैध होना चाहिए।

(3) आयातित माल निर्यात सदनों द्वारा केवल वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) को बेचा जाएगा।

(4) आयातित माल प्राप्त करने वाले वास्तविक उपयोक्ता माल के उपयोग के लिए "वास्तविक उपभोक्ता शर्तों" के अधीन होंगे।

(5) आयातक पण्य वस्तु वार आयात के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और भाड़ा को प्रदर्शित करते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को एक अर्ध वार्षिक विवरण पत्र भेजेगा। ऐसा विवरण पत्र अप्रैल 1981-सितम्बर 1981 छमाही के लिए अक्तूबर, 1981 तक और 1981-82 की द्वितीय छमाही के लिए अप्रैल, 1982 के अन्त तक भेजा जाएगा।

(6) मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा अभिज्ञात व्यापार सदन भी इस श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन आयात के लिए पात्र होगा।

(7) इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में उत्पादित या निर्मित न हो।

(8) ऐसा माल 31 मार्च, 1982 को अथवा उससे पहले किसी भी रियायती अवधि के बिना भारत को परेषण के जरिए लाद दिया गया हो।

(9) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के अधीन होगा।

(10) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

**खुला सामान्य लाइसेंस संख्या-17/81**

दिनांक 3 अप्रैल, 1981 की अनुसूची

(1) एल्यूमीनियम स्क्रैब/ड्रास

(2) क्रांत स्क्रैप/ऐश/ड्रास

(3) कापर स्क्रैप/कापर मिल स्केल

(4) ऐश, स्कीमिंग, ब्लोबिंग और ड्रास सहित लैड स्क्रैप

(5) टिन ड्रास/ऐश/रेजिडयूज और टिन आलय रेजिडयूज

(6) जिंक स्क्रैप/जिंक अलाय स्क्रैप/ऐश/ड्रास

[मिसिल सं० आई पी सी/3/8/80]

ORDER NO. 17/81

**Open General Licence No. 17/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 285(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, goods of the description specified in the Schedule annexed to this Order, subject to the following conditions :—

(1) The import under this Licence will be allowed only to Export Houses holding valid Export House Certificates issued by Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi/Small Industries Corporations of State Governments/Union Territories ;

(2) Eligible Export Houses shall produce to the customs authority, at the time of clearance, a certified copy of their valid Export House certificates. Such certificates must be valid on the date of shipment of goods;

(3) Imported goods shall be sold by Export Houses to Actual Users (Industrial) only;

(4) Actual Users obtaining the imported materials shall be under 'Actual User' condition, for utilisation of the material;

(5) Importers shall furnish half yearly returns to Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, showing the c.i.f. value and quantity of imports, commodity-wise. Such reports shall be sent by the end of October, 1981 pertaining to April, 1981—September, 1981 half year, and by the end of April, 1982 pertaining to second-half of 1981-82.

(6) Trading Houses recognised by Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi will also be eligible for import under this category, subject to the conditions laid down.

(7) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa, South West Africa ;

(8) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1982, without any grace period, what-so-ever ;

(9) This Licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V of the Imports (Control) Order, 1955;

(10) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

**Schedule to Open General Licence No. 17/81, Dated the 3rd April, 1981.**

(i) Aluminium scrap/dross.

(ii) Brass scrap/ash/dross

(iii) Copper scrap/copper mill scale.

(iv) Zinc scrap/zinc alloy scrap/ash/dross. drosses.

(v) Tin dross/ash/residues and tin alloy residues.

(vi) Zinc scrap/zinc alloy scrap/ash/dross.

[F. No. IPC/3/8/80]

**आदेश संख्या-18/81**

**खुला सामान्य लाइसेंस सं०-18/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 286(अ)** :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निजी क्षेत्रों में स्थित वास्तविक उपभोक्ताओं को आगामी आदेश जारी होने तक वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अनुसार जो कि प्रत्येक मामले में लागू होगी, काण्डला, मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक निर्यात संसाधन क्षेत्रों में (1) मशीनरी, (2) कच्चे माल (3) संघटकों, (4) फालतू पुर्जों, (5) उपभोग्य

वस्तुओं, (6) पैकिंग माल, (7) औजार, जिग्स फिक्चर्स और गॉजिज के आयात के लिए सामान्य अनुमति देती है ।

2. सम्बंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त की सिफारिश पर ऐसा वास्तविक उपयोक्ता अपने स्वउत्पादन उत्पाद, के विविधिकरण और विकास के लिए (1) प्रोटोटाइप, (2) तकनीकी और व्यापार नमूने प्रत्येक नमूने की संख्या तक, (3) ड्राइंग, ब्लू प्रिंट्स, चार्टस, तकनीकी आंकड़ें माइक्रो फिल्म सहित, (4) कार्यालय उपस्कर और उनके फालतू पुर्जे तथा उपभोज्य सामग्री भी आयात कर सकते हैं ।

3. ऐसे वास्तविक उपयोक्ता (1) जोन में उनके द्वारा मरम्मत/पुनः सुधार करने और तत्पश्चात् पुनः निर्यात करने के लिए प्राप्त किए गए माल या (2) वास्तविक उपयोक्ता द्वारा विदेशी सम्भरकों को माल भेजने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के दौरान वापस किए गए माल का आयात भी कर सकते हैं । विदेशी मुद्रा विनियम के अन्तर्गत सम्बंधित कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात् ।

4. आयातक निर्धारित फार्म में आयात उपभोग और सभी आयातित सामग्री के उपयोग और उनके द्वारा किए गए निर्यात का पूर्ण ब्यौरा रखेगा और यथा संपेक्षित विकास आयुक्त और सम्बंधित लाइसेंस प्राधिकारी को समय-समय पर उन्हें भेजेगा ।

5. यह अनुमति किसी भी अन्य निषेध के अन्तर्गत आने वाले सामान या आयात को प्रभावित करने वाले, विनियम जो उस समय लागू होंगे जब ऐसे माल का आयात किया जाता है तो उनके लिए लागू करने के विचार पर ध्यान दिए बिना ही होगी ।

6. यह लाइसेंस आदेश सं० 31/78, दिनांक 16 नवम्बर, 1978 के अधिक्रमण में है ।

[मिसिल सं० 1/2/16/आर ई पी/74-ई पी सी (वा०-8)]

ORDER 18/81

**Open General Licence No. 18/81**

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 286(E).**—In exercise of the powers, conferred by Section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission, till further orders, to the Actual Users located in the respective Zones for the import of (1) Capital Goods, (2) raw materials, (3) components, (4) spares, (5) consumables, (6) packing materials as well as (7) tools, jigs, fixtures and gauges, into (i) the Kandla Free Trade Zone, and (ii) the Santacruz Electronics Export Processing Zone, subject to the Actual User condition as applicable thereto in each case.

2. On the recommendation of the Development Commissioner of the concerned Zone, such Actual Users may also import for the purpose of their own production, product diversification and development (i) prototypes, (ii) technical and trade samples not exceeding two in number of each type of samples and (iii) drawings, blue prints, charts, technical data including micro-films as well as (iv) office equipment, spares and consumables thereof.

3. Such Actual Users may also import goods received (i) for repairs/reconditioning by them in the Zone and to be re-exported thereafter or (ii) back from the consignees overseas within a period of three years from the date of their despatch to him by the Actual User (after following the connected formalities under the Foreign Exchange Regulations Act).

4. The importer shall maintain in the prescribed form proper account of the import, consumption and utilisation of all imported materials and of the exports made by him and submit them periodically as required to the Development Commissioner of the Zone and to the licensing authority concerned.

5. This licence is without prejudice to the application to any goods of any other prohibition or regulation affecting the import that may be in force at the time when such goods are imported.

6. This licence is in supersession of Order No. 31/78 dated the 16th November, 1978.

[F. No. 12/XVI/REP/74-EPC(Vol. VIII)]

**आदेश सं० 19/81**

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

**का० आ० 287(अ)** :—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है :—

(1) इस आदेश को आयात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश, 1981 की संज्ञा दी जाए ।

(2) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में :—

(i) अनुच्छेद 11(1) में वर्तमान उप अनुच्छेद (घ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"(घघ) बाहर जाने वाले या बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे अनुमोदित शुल्क मुक्त दुकानों पर बिक्री के लिए आयात या आयातित और बान्डिड माल"

(ii) अनुसूची–III में वर्तमान परन्तुक (I) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रति स्थापित किया जाएगा :—

"(I) जिस मामले में आवेदनपत्र में दिए गए माल का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न हो उसमें कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्यों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए लघु पैमाने के वास्तविक उपयोक्ता या पंजीकृत निर्यातक के आयात लाइ-

मेंबर के लिए आवेदनपत्र के सम्बंध में शुल्क की धनराशि 50 रु० होगी; या"

[मि० सं० आई टी सी(एच बी)/अध्याय 1/81-82]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER NO. 19/81

New Delhi, the 3rd April, 1981

**S.O. 287(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control), Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955 :—

(1) This Order may be called the Imports (Control) First Amendment Order, 1981.

(2) In the Import (Control) Order, 1955 :—

(i) In clause 11(1), after the existing sub-clause (d), the following shall be inserted :—

"(dd) Imported and bonded on arrival for sale at approved duty-free shops, whether to outgoing or incoming passengers, against payment in free foreign exchange."

(ii) In Schedule III, the existing Proviso (1) shall be substituted by the following :—

"(1) The amount of fees payable shall be Rs. 50 in respect of an application for import licence by a small scale actual user or a registered exporter for the import of raw materials, components, consumables and spares, where the value of the goods specified in the application does not exceed Rs. One lakh; or"

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

[F. No. ITC (HB)/Chap.I/81-82]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981